अध्याय XIII : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

डाक्टर हरी सिंह गौड विश्वविद्यालय, सागर (एमपी)

13.1 वित्तीय प्रबंधन एवं अवसंरचना विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान को पूर्णतया उपयोग करने में विफल रहा तथा ₹6.53 करोड़ के अपेक्षाकृत कम ब्याज के साथ अव्ययित राशि वापस की। ये अपने किराएदारों से ₹48.38 लाख का किराया वसूल नहीं कर सका। केन्द्रीय उन्नत यंत्रविन्यास प्रयोगशाला सहित निर्माण कार्यों में असाधारण विलम्ब हुए थे। निम्नतम बोलीदाता की उपेक्षा, निविदाओं को खोलने के बाद संशोधित बोलियों को स्वीकार करने और कोई कारण बताए बिना तकनीकी रूप से अयोग्य बोलीदाता से उपकरणों की खरीद के द्वारा उपकरण की प्राप्ति में जीएफआर के प्रावधानों के उल्लंघन देखे गये। पुन: निविदा आमंत्रण के बिना उच्च माडल की खरीद पर विश्वविद्यालय ने ₹1.26 करोड़ का अनियमित व्यय किया जो प्रयोगशाला का निर्माण पूरा न होने के कारण असंस्थापित पड़ा रहा।

राज्य विश्वविद्यालय के रूप में 1946 में स्थापित डाक्टर हरी सिंह गौड विश्वविद्यालय (तत्कालीन सागर विश्वविद्यालय) (विश्वविद्यालय) को भारत सरकार के केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 द्वारा 15 जनवरी 2009 को केन्द्रीय स्थिति प्रदान की गई थी। अध्ययन के 11 स्कूलों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के 36 शिक्षण विभाग हैं जो पूर्व स्नातक स्तर पर 43, स्नातकोत्तर स्तर पर 35 और पीएचडी स्तर पर 32 कार्यक्रम प्रदान करते हैं।

लेखापरीक्षा यह निर्धारित के लिए की गई थी (अप्रैल से अगस्त 2016) कि क्या अनुदानों सहित वित्तीय संसाधनों का 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान मितव्ययी रूप से दक्षतापूर्वक और प्रभावी रूप से उपयोग किया गया था लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

13.1.2 वित्तीय प्रबंधन

13.1.2.1 निधियों का कम उपयोग

विश्वविद्यालय का वित्त पोषण मुख्य रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से प्राप्त अनुदानों के माध्यम से किया जाता है। वर्ष वार वित्तीय स्थिति (**अनुबन्ध-IV**) से पता चला कि विश्वविद्यालय उपलब्ध निधियों का उपयोग नहीं कर सका। निधियों के अनुपयोग की सीमा 44.34 से 51.08 प्रतिशत के बीच थी।

विश्वविद्वलाय ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि योजनागत अनुदान के कम उपयोग के कारण केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए इसकी स्थिति में परिवर्तन, नियमित उपकुलपति (वीसी) तथा वित्त अधिकारी की अनुपस्थिति, विश्वविद्यालय की संविधियां तथा अध्यादेश तैयार करने और अनुमोदन में विलम्ब थे।

विश्वविद्यालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमित वीसी की अनुपस्थिति में वीसी के कर्तव्यों का निर्वहन प्रभारी वीसी द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त, अन्य समितियां अर्थात् वित्त समिति तथा भवन निर्माण कार्य समिति (बीडब्ल्यूसी) भी इस अवधि के दौरान कार्यरत थीं।

13.1.2.2 ग्याहरवीं योजना (2007-12) के अन्तर्गत यूजीसी अनुदान का उपयोग न करना

यूजीसी निर्देशों के अनुसार निधियों के अनुपयोग के मामले में, अव्ययित शेष को उस पर अर्जित ब्याज के साथ अनुदानग्राही संस्था द्वारा वापस किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जीएफआर 209(6) (IX) के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज अप्रयुक्त राशि पर प्रभारित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विश्वविद्यालय ने सामान्य विकास सहायता (जीडीए) के रूप में XI योजना अवधि (2007-12) के दौरान ₹100 करोड़ और विलयित योजना के लिए ₹1.83 करोड़ प्राप्त किये थे। विश्वविद्यालय XI योजना अर्थात मार्च 2015 की विस्तारित अवधि तक दो अनुदानों में से क्रमश: केवल ₹82.03

करोड़ तथा ₹0.95 करोड़ का उपयोग कर सका था। विश्वविद्यालय ने यूजीसी को ₹19.41[1] करोड़ वापस किया (दिसम्बर 2015) जिसमें अप्रैल से नवम्बर 2015 तक की अवधि के लिए उस पर ₹0.56 करोड़ का ब्याज शामिल था जबकि ₹7.09[2] करोड़ की ब्याज राशि वापस किया जाना अपेक्षित था। उस रूप में ₹6.53 करोड़ (₹7.09 करोड़ - ₹0.56 करोड़) ब्याज राशि वापस नहीं की गई थी।

विश्वविद्यालय ने पैरा 13.1.2.1 में यथा उल्लिखित अनुदान के उपयोग न करने के उन्हीं कारणों को उद्धारित किया (अगस्त 2016) परन्तु अपने द्वारा रोके गए अव्ययित शेष पर संस्वीकृत पत्र की शर्तों के अनुसार ब्याज का भुगतान न करने पर कोई टिप्पणी नहीं की।

13.1.2.3 मार्च तथा वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान अत्यधिक व्यय

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों (जुलाई 2011, मई 2012 तथा अक्तूबर 2014) के अनुसार मार्च तथा वित्त वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय बजट अनुमानों के क्रमश: 15 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत तक सीमित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2011-12, 2012-13 तथा 2014-15 वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय ने सरकारी निर्देशों के उल्लंघन में मार्च तथा उपर्युक्त वित्त वर्षों की अन्तिम तिमाही के दौरान क्रमश: 15.9 से 31.5 प्रतिशत तथा 35.2 से 51.8 प्रतिशत तक खर्च किया।

विश्वविद्यालय ने बताया (अगस्त 2016) कि अवधि के दौरान अत्यधिक व्यय के कारण अनुदान के आवंटन तथा निर्गम में विलम्ब थे।

---

[1] जीडीए का ₹17.97 करोड़, विलय योजना का ₹0.88 करोड़ तथा ब्याज का ₹0.56 करोड़ = ₹19.41 करोड़।

[2] अप्रयुक्त जीडीए ₹658.80 लाख पर ब्याज की राशि (10 प्रतिशत की दर पर अप्रैल 2012 से नवम्बर 2015 तक की अवधि (44 माह) के लिए ₹1796.73 लाख) और ₹49.96 लाख की विलय योजना की अप्रयुक्त राशि पर ब्याज की राशि (10 प्रतिशत की दर पर अप्रैल 2010 से नवम्बर 2015 (68 माह) तक की अवधि के लिए ₹88.17 लाख)।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय को अत्यधिक व्यय से बचने के लिए अनुदान के सामयिक निर्गम के लिए मामले को उपयुक्त स्तर पर यूजीसी के साथ उठाना चाहिए था।

13.1.2.4 ₹48.38 लाख का बकाया किराया

विश्वविद्यालय ने दो बैंकों, डाकघर, एक एटीएम तथा दुकानों आदि सहित 39 भिन्न एजेंसियों को अपने परिसर किराए पर दिये थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹48.38 लाख का किराया आठ महीनों से 40 वर्षों के बीच की अवधियों के लिए इन दुकानों/संस्थानों से बकाया था। विश्वविद्यालय ने पांच एजेंसियों[3] के साथ कोई किराया अनुबन्ध नहीं किया था और अन्य 34 दुकानों/एजेंसियों के साथ किराया अनुबन्धों का नवीकरण नहीं किया गया था। किराया अनुबन्धों का नवीकरण न करने के कारण विश्वविद्यालय किराया संशोधित करने के योग्य नहीं था।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि कैम्पस में बैंक तथा डाकघर छात्रों, अध्यापकों तथा स्टाफ को अनिवार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए काफी पहले आमंत्रित किए गए थे और किराया अनुबन्ध के अभाव में पूर्वव्यापी तारीख से प्रभारित नहीं किया जा सका था और किराए के लिए नया अनुबन्ध किया जाना है। उन्होंने आगे बताया कि बैंक तथा डाकघर सरकारी दरों पर भविष्य में किराया भुगतान करने को सहमत हो गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दुकानदारों से सभी प्राप्य चालू वित्त वर्ष में वसूल किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय ने अक्तूबर 1976 में बैंक को स्थान का मुफ्त आवंटन रद्द कर दिया था और दिसम्बर 1976 से बैंक से किराए का दावा किया था और इसलिए स्थान के मुफ्त आवंटन के रद्द करने की तारीख से किराया अनुबन्ध करना उनका उत्तरदायित्व था।

---

[3] भारतीय स्टेट बैंक, एटीएम (भारतीय स्टेट बैंक), भारतीय स्टेट बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के बैंक प्रबन्धक तथा डाकघर का आवास।

13.1.2.5 दस वर्षों से ₹31.12 लाख की अप्रयुक्त निधि वापस न करना

विश्वविद्यालय को यूजीसी असिस्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत वनस्पति विज्ञान विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षण तथा अनुसंधान की अवसंरचना मजबूत करने के लिए यूजीसी से ₹35.30 लाख का अनुदान प्राप्त (मार्च 2003) हुआ था। अनुदान अलग बैंक खाते में रखा जाना और 2003-04 के दौरान उपयोग किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹35.30 लाख में से विश्वविद्यालय सितम्बर 2005 तक केवल ₹4.18 लाख का उपयोग कर सका था और ₹31.12 लाख (88.40 प्रतिशत) की शेष राशि दस वर्षों से अधिक समय से विश्वविद्यालय संयुक्त के खातों में अप्रयुक्त (मार्च 2016) पड़ी हुई थी। विश्वविद्यालय ने यूजीसी को उपयोग प्रमाणपत्र भी नहीं भेजा था।

मई 2016 में लेखापरीक्षा द्वारा मामले का उल्लेख किए जाने के बाद विश्वविद्यालय ने अगस्त 2016 में यूजीसी को ₹31.12 लाख की अप्रयुक्त राशि वापस कर दी।

13.1.2.6 ₹69.72 लाख के मोटर वाहनों की अनियमित खरीद

भारत सरकार के निर्देशों (जुलाई 2011 तथा मई 2012) के अनुसार परिव्यक्त वाहनों के प्रति सहित वाहनों की खरीद प्रतिबंधित थी। ये आदेश स्वायत्त निकायों को भी लागू थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विश्वविद्यालय ने उपर्युक्त आदेशों के उल्लंघन में 2011-13 वर्षों के दौरान ₹69.72 लाख मूल्य के छः वाहनों की खरीद की।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि वर्ष 2011-12 में विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में पदोन्नति के बाद परिवर्तन चरण में था और प्राथमिक उद्देश्य, तेजी से विकासीय कार्यकलापों के लिए आगे बढ़ना था। वाहन विधिवत् प्रक्रिया अपनाने के बाद खरीदे गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) के निर्देशों का उल्लंघन किया।

13.1.2.7 मरम्मत कार्यों का अनियमित निष्पादन

जीएफआर 126 (2) तथा 126 (3) के अनुसार मंत्रालय अथवा विभाग तीस लाख रूपयों तक की अनुमानित लागत के मरम्मत कार्य सीधे करा सकता है जबकि तीस लाख रूपयों से अधिक अनुमानित लागत के मरम्मत कार्य सीपीडब्लूडी, राज्य पीडब्लूडी, अन्य सरकारी संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों आदि जैसे सार्वजनिक निर्माण कार्य संगठनों को सिविल अथवा विद्युतीय कार्य करने के लिए सौंपे जाने अपेक्षित हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विश्वविद्यालय ने जीएफआर 126(2) तथा 126(3) के प्रावधानों के उल्लंघन में 2011-15 की अवधि के दौरान प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से ₹35.37 लाख से ₹60.83 लाख के बीच के कुल ₹8.41 करोड़ के अनुमानित मूल्य के सिविल तथा विद्युतीय प्रकृति के 18 मरम्मत कार्य सीधे निष्पादित कराए।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि सीपीडब्लूडी ने सूचित किया कि वे केवल उन भवनों का मरम्मत कार्य करते हैं जो उनके नियंत्राधीन हैं और आगे बताया कि उनका पूर्णरूपेण इंजीनियरी विभाग है और वे समयबद्ध रीति में ये कार्य करते हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जीएफआर 126(2) के अनुसार ₹30.00 लाख से अधिक अनुमानित लागत के मरम्मत कार्य किसी भी निर्माण एजेंसी को सोंपे जाय जैसा नियम में उल्लिखित है और न केवल सीपीडब्लूडी को। इसके अलावा अपना पूर्ण रूपेण इंजीनियरिंग विभाग होने के बावजूद विश्वविद्यालय अपनी इंजीनियरी शाखा को निष्क्रिय कर मूल कार्य हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता और सीपीडब्लूडी के माध्यम से करा रहा है।

13.1.3 अवसंरचना विकास

विश्वविद्यालय ने अवसंरचना के विकास के लिए सामान्य योजना विकास सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्यारहवीं योजना अवधि (2007-12) के दौरान यूजीसी से ₹100.00 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया जिसमें शैक्षणिक,

प्रशासनिक तथा आवासीय प्रयोजनों हेतु भवनों का निर्माण और प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद शामिल थी।

13.1.4 निर्माण कार्य

13.1.4.1 एचएससीएल को सौंपे गए कार्य पूर्ण न होना

विश्वविद्यालय ने नामांकन आधार पर ₹45.00 करोड़ की अनुमानित लागत पर एचएससीएल, एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को पांच कार्य आवंटित किए (अगस्त 2011)। एचएससीएल ने आगे दो अथवा अधिक निर्माण कार्य संविदाओं में उन्हें विभाजित कर ₹86.62 करोड़ की निविदा लागत पर विभिन्न ठेकेदारों (खुली निविदा पर आधारित) को ये कार्य सौंप दिए (अगस्त 2011 से सितम्बर 2015)। विश्वविद्यालय ने निविदा लागत स्वीकार करते हुए अनुबद्ध किया कि कार्य उनके आरम्भ से 18 माह के अन्दर पूर्ण हो जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच कार्यों में से केवल एक कार्य (चारदीवारी) निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण किया गया था (मार्च 2013)। शेष चार कार्य समापन की निर्धारित तिथि (मार्च 2016) से 16 माह से 35 माह तक बीत जाने के बाद भी अपूर्ण थे। इन कार्यों पर ₹63.35 करोड़ का व्यय पहले ही किया जा चुका था (मार्च 2016)। विश्वविद्यालय तथा एचएससीएल के बीच हस्ताक्षरित एमओयू में अनुबद्ध किया कि कार्य के समापन में विलम्ब के लिए एजेंसी प्रभारों के अधिकतम दो प्रतिशत के अध्यधीन विलम्ब के प्रत्येक माह के लिए शेष कार्य एजेंसी प्रभारों के 0.10 प्रतिशत की दर पर क्षति का भुगतान करने के लिए निर्माण एजेंसी उत्तरदायी होगी। विश्वविद्यालय ने कार्य के समापन में विलम्ब के लिए एचएससीएल पर कोई शास्ति नहीं लगाई थी।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि एचएससीएल को सौंपे गए कार्यों में विलम्ब डिजाइन में परिवर्तन, ठेकेदार की समस्या, विश्वविद्यालय में अशांति, नियमित वीसी की अनुपस्थिति और XI योजना अनुदान की विस्तारित अवधि की समाप्ति के कारण निधियों का जारी न होने के कारण था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमित वीसी की अनुपस्थिति में प्रभारी वीसी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था। विश्वविद्यालय मार्च 2012 से मार्च 2015

तक तीन वर्षों की वृद्धि के बाद भी ग्यारहवीं योजना के अन्तर्गत अपने कार्य निष्पादित करने में विफल हो गया। इसने पूर्णरूपेण इंजीनियरी शाखा होने पर भी विश्वविद्यालय की ओर से निगरानी प्रणाली की कमी दर्शाई।

13.1.4.2 प्रतिशतता और वास्तुशिल्पीय प्रभारों के प्रति ₹ 5.27 करोड़ का परिहार्य भुगतान

कार्यों के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालय तथा एचएससीएल के बीच एमओयू में अन्य बातों के साथ परियोजनाओं की वास्तविक अन्तिम लागत पर एचएससीएल को सात प्रतिशत एजेंसी प्रभारों/विभागीय प्रभारों का भुगतान शामिल था। बीडब्लूसी की तीसरी बैठक (अगस्त 2011) में यह निर्णय लिया गया था कि विश्वविद्यालय परियोजना लागत के 2 प्रतिशत की दर पर वास्तुशिल्पीय शुल्क का भुगतान करेगा। विश्वविद्यालयों ने 2011-16 की अवधि के दौरान प्रतिशतता प्रभारों (एजेंसी प्रभारों) के रूप में एचएससीएल को ₹4.10[4] करोड़ का भुगतान किया। प्रतिशता प्रभारों के अलावा, विश्वविद्यालय ने भी इन निर्माण कार्यों के संबंध में डिजाइन परामर्श के लिए उसी अवधि के दौरान एचएससीएल को वास्तुशिल्पीय प्रभारों के रूप में ₹1.17 करोड़[5] का भुगतान किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विश्वविद्यालय ने नामांकन आधार पर सीपीडब्लूडी, जो केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित स्वायत्त निकायों से किसी विभागीय/प्रतिशतता प्रभारों का उदग्रहण नहीं करता है, से सम्पर्क किए बिना एचएससीएल को वे कार्य सौंप दिए।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि विश्वविद्यालय ने फरवरी 2011 में आयोजित बीडब्लूसी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पूर्व में इसको सौंपे गए निर्माण कार्यों के निष्पादन में सीपीडब्लूडी द्वारा किए गए अनुचित विलम्ब का परिहार करने के लिए एचएससीएल के माध्यम से कार्य कराने का निर्णय लिया था। तथापि उपर्युक्त पैरा 13.1.4.1 के अंतर्गत जैसा पूर्व में उल्लेख किया गया एचएससीएल को सौंपे गए पांच कार्यों में से चार 16 से 35 महीने बीत जाने के

[4] ₹63,85,21,620×7/109 = ₹4,10,05,976

[5] ₹63,85,21,620×2/109 = ₹1,17,15,993

बाद भी अपूर्ण पडे हुए थे। इस प्रकार सीपीडब्लूडी के बजाय एचएससीएल को कार्य सौंपने और प्रतिशतता प्रभारों के प्रति ₹5.27 करोड़ का भुगतान कर विश्वविद्यालय ने कोई लाभ प्राप्त नहीं किया था क्योंकि एचएससीएल द्वारा निष्पादित कार्यों में विलम्ब थे।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि आरम्भ में निक्षेप कार्य के रूप में सीपीडब्लूडी को कार्य सौपा गया था और इसको ₹11.00 करोड़ की राशि जारी की गई थी परंतु सीपीडब्ल्यूडी ने क्वार्टरों का केवल मरम्मत कार्य करने के बाद ₹7.70 करोड़ वापस कर दिया और उसके बाद कार्य एचएससीएल को सौंपे गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय ने निक्षेप की शेष राशि वापस करने के लिए सीपीडब्लूडी से स्वयं कहा था। बाद में विश्वविद्यालय ने अक्तूबर 2013 से अक्तूबर 2015 की अवधि के दौरान सीपीडब्लूडी को नौ कार्य सौंपे। तथ्य यह हैं कि एचएससीएल को प्रतिशतता वास्तुशिल्पीय प्रभारों के लिए ₹5.27 करोड़ भुगतान करने के बाद भी विलम्ब विद्धमान हैं।

13.1.5 केन्द्रीय यन्त्र-विन्यास प्रयोगशाला के लिए उपकरणों की खरीद

विश्वविद्यालय ने अन्तर शैक्षणिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए सभी उत्कृष्ट उपकरणों के साथ केन्द्रीय यंत्र-विन्यास प्रयोगशाला (प्रयोगशाला) स्थापित करने का निर्णण लिया (मई 2010) और प्रयोगशाला के लिए 28 उन्नत उपकरण की खरीद के लिए दो बोली प्रणाली (तकनीकी तथा वाणिज्यिक) के अन्तर्गत निविदाएं आमंत्रित कीं (दिसम्बर 2011)। निविदाएं आमंत्रित करने की अन्तिम तारीख 9 जनवरी 2012 थी। तथापि विश्वविद्यालय को केवल 24 उपकरणों की आपूर्ति हेतु बोलियां प्राप्त हुईं। उस रूप में केवल 24 उपकरणें की विश्वविद्यालय द्वारा खरीद की गई थी।

विश्वविद्यालय यह कहते हुए कि कार्यवृत्त खो गए थे और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, लेखापरीक्षा को 24 उपकरणों में से 16 की तकनीकी समिति द्वारा निविदाओं के मूल्यांकन के कार्यवृत्त प्रस्तुत नहीं कर सका था। महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नवत हैं:

13.1.5.1 निम्नतम बोलीदाता की अनदेखी

विश्वविद्यालय ने पाउडर एक्सरे डिफरैक्ट मीटर सिस्टम (एक्सआरडी) और थिन फिल्म एण्ड रिएटवेल्ड एनालेसिस की खरीद हेतु बोलियां आमंत्रित कीं (दिसम्बर 2011)। विश्वविद्यालय को जनवरी 2012 में तीन बोलियां प्राप्त हुईं। सभी तीन बोलीदाता तकनीकी रूप से योग्य पाए गए थे और वित्तीय मूल्यांकन हेतु सिफारिश की गई।

बोलियों के मूल्यांकन के बाद वित्तीय समिति ने ₹49.92 लाख के मूल्य पर एल-I बोलीदाता, मै. आईआर टेक्नालाजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुम्बई से मद की खरीद की सिफारिश की। तथापि वित्तीय समिति की सिफारिशों की अवहेलना कर खरीद आदेश मै. ब्रुकर एएक्सएस एनालिटिकल इन्सट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (एल-2), जिसने ₹57.43 लाख की दर उद्धरित की, को जारी किया गया था। परिणामत: विश्वविद्यालय ने ₹9.19 लाख (वास्तिवक भुगतान के समय पर विदेशी मुद्रा विनिमय दर पर आधारित) का अतिरिक्त व्यय किया।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि उपर्युक्त उपकरण के संबंध में उपसाधन कोई कोटेशन आमंत्रित किए बिना/औचित्य बिना एल-2 से ₹19.86 लाख में खरीदे गए थे जो जीएफआर के नियम 151 का उल्लंघन करता है।

विश्वविद्यालय ने यह स्वीकार करते हुए (अगस्त 2016) कि ब्रुकर एएक्सएस एनालिटिकल इन्सट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली एल-2 था, बताया कि उसने बाद में ₹5.00 लाख की राशि के उपसाधनों और दो वर्षों के लिए मुफ्त उपकरण प्रचालक का प्रस्ताव दिया था। विश्वविद्यालय ने भविष्य में उचित सावधानी बरतने का भी आश्वासन दिया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय समिति ने निम्नतम बोलीदाता से मद की खरीद की सिफारिश की थी। अन्तिम तारीख की समाप्ति के बाद मुफ्त उपसाधन तथा उपकरण प्रचालक के संशोधित प्रस्ताव की स्वीकृति, जीएफआर के नियम 160 (XI) के प्रतिकूल थी जो कहता है कि बोलियों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि की समाप्ति के बाद अपनी बोलियां बदलने अथवा संधोधित करने के लिए बोलीदाताओं की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

13.1.5.2 निम्नतम बोलीदाता की अनदेखी और मूल्य बोली में निविदा पश्चात् संधोधन: ₹8.99 लाख का अतिरिक्त व्यय

विश्वविद्यालय ने जनवरी 2012 में आईसीपी-एमएस की खरीद हेतु चार बोलियां प्राप्त की जिनमें से केवल तीन बोलीदाता तकनीकी रूप से योग्य थे और वित्तीय मूल्यांकन[6] की सिफारिश की गई थी। वित्तीय मूल्यांकन समिति द्वारा खरीद हेतु निम्नतम बोलीदाता मै. परकिन एल्मर (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, वडोदरा की सिफारिश की गई थी (जनवरी 2012)।

बाद में दो फर्मों यथा मै. परकिन एल्मर (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड तथा मै. लैब इण्डिया एनालिटिकल प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी संशोधित दरें[7] दोबारा प्रस्तुत की (मार्च-अप्रैल 2012), जिसके कारण अभिलेख में नहीं पाए गए थे। मै. परिकन एल्मर (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, वडोदरा दोबारा निम्नतम था परन्तु इसके तथ्य के बावजूद

6

क्र.सं.	फर्म का नाम	यूएसडी में कीमत	भारतीय मुद्रा में 49.65 की दर पर (विनिमय दर दिनांक 26.01.2012)
1.	मै. परकीन एल्मर (इण्डिया) प्रा.लि., वडोदरा	125900	62,50,935
2.	मै. एजिलेंट टेक्नोलॉजी प्रा.लि., अहमदाबाद	158198	78,54,507
3.	मै. लैबइण्डिया एनालिटिकल प्रा.लि., वडोदरा	163680	81,26,712

7

क्र.सं.	फर्म का नाम	दिनांक	यूएसडी में कीमत	भारतीय मुद्रा में 49.65 की दर पर (विनिमय दर दिनांक 26.01.2012)
1.	मै. लैबइण्डिया एनालिटिकल प्रा.लि., वडोदरा	30/04/2012	144000	71,49,600
2.	मै. परकीन एल्मर (इण्डिया) प्रा.लि., वडोदरा	13/03/2012	133300	66,18,345+3,90,000 कुल **=70,08,345**

खरीद आदेश लैब इण्डिया एनालिटिकल प्राइवेट लिमिटेड वडोदरा को उपर्युक्त उपकरण की खरीद हेतु दिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि खरीद बोलियों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि की समाप्ति के बाद अपनी बोलियां बदलने के लिए बोलीदाताओं को अनुमत कर जीएफआर के नियम 160 (XI) के उल्लंघन में की गई थी। उस रूप में मै. लैब इण्डिया एनालिटिकल प्राइवेट लिमिटेड, वडोदरा को अनुचित लाभ दिए गए हैं। यदि खरीद आदेश दरें संशोधित करने से पूर्व मै. परकिन एल्मर (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, वडोदरा को जारी किया गया होता तो विश्वविद्यालय को ₹8.99 लाख (₹71.50 लाख - ₹62.51 लाख) की बचत हुई होती।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि इन दो बोलीदाताओं के बीच अन्तर केवल ₹1.41 लाख था और मै. लैबइण्डिया एनालिटिकल प्राइवेट लिमिटेड, वडोदरा ने ₹6.79 लाख के उपसाधनों का मुफ्त प्रस्ताव दिया था। उस रूप में मै. लैबइण्डिया का मूल्य अधिकारियों द्वारा एल-I के रूप में अनुमोदित किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि भविष्य में उचित सावधानी बरती जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निविदाएं खुलने के बाद संशोधित बोलियां प्राप्त करने और निम्नतम बोलीदाता, मै. परकिन एल्मर (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, वडोदरा की अनदेखी करने के कारण अभिलेखों में नहीं थे। इसके अलावा उपसाधनों तथा अतिरिक्त यंत्र से संबंधित कोई शर्त तथा निबंधनों का बोलियां आमंत्रित करते समय उल्लेख नहीं किया गया था। अन्तिम तारीख की समाप्ति के बाद मुफ्त उपसाधनों तथा प्रचालक के संशोधित प्रस्तावों की स्वीकृति जीएफआर 2005 के नियम 160(XI) के प्रतिकूल थी

13.1.5.3 अनियमित खरीद के परिणामस्वरूप ₹1.26 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ तथा उपकरण निष्क्रिय पड़े रहे

खुली निविदा के आधार पर वित्तीय मूल्यांकन समिति ने एमडीएस बायो-एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड से 352360 अमरीकी डालर के मूल्य पर 400 मेगाहर्ट्ज की आबजरवेशन फ्रीक्वेंसी के साथ 'न्यूक्लीयर मैगनेटिक रिसोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर' (एनएमआरएस) खरीदने की सिफारिश की (जनवरी 2012)। तथापि विश्वविद्यालय ने उसी पूर्तिकार से 595250 अमरीकी डालर की कीमत पर 500 मेगाहर्ट्ज की आबजरवेशन फ्रीक्वेंसी के साथ जेएनएम-ईसीएक्स 500

एफटी एनएमआर नामक एनएमआरएस के भिन्न उन्नत माडल की खरीद हेतु अनियमित रूप से खरीद आदेश दे दिया।

इस प्रकार विश्वविद्यालय ने उपकरण की खरीद पर ₹1.26 करोड़ का अनियमित व्यय किया था। भिन्न माडल की खरीद करने के लिए अभिलेखों पर कोई औचित्य नहीं था जो संस्तुत माडल की अपेक्षा लगभग 69 प्रतिशत महंगा था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि इसके संस्थापन हेतु अपेक्षित प्रयोगशाला के निर्माण का कार्य पूरा न होने के कारण उपकरण इसकी खरीद (अक्तूबर 2012) से तीन वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद भी असंस्थापित पड़ा हुआ था। इस बीच उपकरण की वारंटी दिसम्बर 2015 में समाप्त हो गई थी। प्रयोगशाला के पूरा न होने के कारण तीन वर्ष से अधिक समय से उपकरण निष्क्रिय पड़ा रहा।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2016 एवं अगस्त 2016) कि दूसरा माडल (500 एफटी) उपकुलपति के मौखिक आदेश पर खरीद गया था क्योंकि जेएमएम ईसीएक्स 400 एफटी एनएमआर भविष्य में अप्रचलित हो जाना था। उन्होंने आगे बताया कि वे आशावान थे कि प्रयोगशाला निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण हो जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि भविष्य में उचित सावधानी बरती जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा पहचान किए गए उपकरण की आवश्यकता 400 मेगाहर्ट्ज की आबजरवेशन फ्रीक्वेंसी के साथ एनएमआरएस की थी। यदि विश्वविद्यालय ने उच्च माडल का निर्णय लिया होता तब उन्हें पुन: निविदा आमंत्रण करना चाहिए था। इसके अलावा विश्वविद्यालय का तर्क कि 400 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला एनएमआर भविष्य में अप्रचलित हो जाना था, मान्य नहीं है क्योंकि मार्च/जून 2016 तक अनेक प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक संस्थान जैसे आईआईटी, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस एजूकेशन एण्ड रिसर्च, मोहाली 400 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले एनएमआर उपयोग कर रहे थे।

13.1.5.4 तकनीकी रूप से अयोग्य फर्म से उपकरण की अनियमित खरीद

विश्वविद्यालय ने दो बोली प्रणाली के अन्तर्गत "पावडर एक्सरे डिफरेक्टोमीटर सिस्टम" की खरीद हेतु निविदाएं आमंत्रित कीं (नवम्बर 2011)। तीन फर्मों के प्रस्तावों

में से केवल एक फर्म मै. पैनालीटिकल, नागपुर का प्रस्ताव तकनीकी समिति द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकार्य पाया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी तीन बोलीदाताओं की मूल्य बोली जीएफआर 152 के उल्लंघन में तकनीकी बोलियों के साथ-साथ खोली गई थीं। इसके अलावा यद्यपि फर्म मै. ब्रुकर एएक्सएस एनालिटिकल इन्सट्रूमेंटस प्राइवेट लिमिटेड मुम्बई का प्रस्ताव तकनीकी रूप से अस्वीकार्य पाया गया था फिर भी विश्वविद्यालय ने 09 फरवरी 2012 को अर्थात निविदा की अन्तिम तिथि अर्थात 30 नवम्बर 2011 से दो माह से अधिक बीत जाने के बाद संशोधित वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए इसे अनुमत किया। विश्वविद्यालय ने अन्तिम तिथि के बाद फर्म की संशोधित बोली स्वीकार की और ₹56.22 लाख के मूल्य पर इसको खरीद आदेश जारी किया। इस प्रकार, विश्वविद्यालय ने केवल तकनीकी रूप से अयोग्य फर्म से उपकरण की खरीद की बल्कि मै. ब्रुकर एएक्सएस एनालिटिकल इन्स्ट्रूमेंट प्रा. लि., मुंबई को अनुचित लाभ भी पहुँचाया तथा इनस्ट्रूमेंट की खरीद पर ₹0.77 लाख का अतिरिक्त व्यय भी किया।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि उन्होंने एल-1 फर्म अर्थात मै. ब्रुकर एएक्सएस एनालिटिकल इन्सट्रूमेंटस प्राइवेट लिमिटेड, अंधेरी, मुम्बई से उपकरण की खरीद की थी और यह खरीद परियोजना प्रभारी, जो तकनीकी विशेषज्ञ था, की सिफारिश पर की गई थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जीएफआर 2005 के नियम 152 तथा 160 (XI) के अनुसार वित्तीय बोली केवल ऐसी फर्म की खोली जानी चाहिए जिसके प्रस्ताव तकनीकी रूप से स्वीकार्य पाए गए हैं और निविदाओं के प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तारीख के बाद कोई संशोधन अथवा परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि मै. ब्रुकर एएक्सएस एनालिटिकल इन्स्ट्रूमेंटस प्राइवेट लिमिटेड, अंधेरी तकनीकी रूप से अयोग्य पाया गया था इसलिए वित्तीय बोली खोली नहीं जानी चाहिए था।

13.1.6 निष्कर्ष

विश्वविद्यालय खरीद, निर्माण परियोजनाओं के लिए अनुदानों का उपयोग नहीं कर सका जिसका परिणाम ब्याज सहित निर्गत अनुदानों की वापसी में हुआ। वित्त वर्षों की अन्तिम तिमाही और माह के दौरान अत्यधिक व्यय हुआ था। विश्वविद्यालय अपने किराएदारों से बकाया किराया वसूल नहीं कर सका।

विभिन्न निर्माण कार्यों को पूरा करने में असाधारण विलम्ब थे। विश्वविद्यालय ने निम्नतम बोलीदाता की अनदेखी करने, निविदाएं खोलने के बाद संशोधित बोलियां स्वीकार करने और कोई कारण दर्ज किए बिना तकनीकी रूप से अयोग्य बोलीदाता से उपकरण खरीदने के द्वारा उपकरण के प्रापण में जीएफआर के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

मामले की सूचना मंत्रालय को दिसम्बर 2016 में दी गई थी; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर

13.2 अधिक भुगतान की अनियमित छूट

गवर्नर बोर्ड ने अपने संकाय को किए गए ₹59.38 लाख की राशि के अधिक भुगतान की वसूली पर अनियमित छूट दी थी जिसकी लेखापरीक्षा के इंगित किए जाने पर वसूली की जा रही है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए संशोधित रूप से केन्द्र सरकार द्वारा निधिकृत तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) के संकाय के वेतनमानों के बारे में सूचना दी थी (अगस्त 2009 और सितम्बर 2009)। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2009-10 से 2012-13 के दौरान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), जोधपुर ने 15 नए नियुक्त संकाय का प्रारंभिक वेतन उनकी पात्रता से अधिक स्तरों पर निर्धारित किया था। संस्थान की वित्त समिति ने अधिक भुगतानों की वसूली की अनुशंसा की थी (27 नवम्बर 2014) जिसके आधार पर दो शिक्षकों जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, उनसे ₹6.41 लाख की वसूली की गई थी। हलांकि, गर्वनर बोर्ड ने वसूली छोड़ न दी जाए और शेष संकाय को उच्च परिलब्धियां जारी रखने का निर्णय लिया (27 अप्रैल 2015)। मार्च 2016 तक 13 शिक्षकों का ₹0.59 करोड़ तक की राशि का अधिक भुगतान किया गया था।

गवर्नर बोर्ड का वसूली छोड़ने का निर्णय कार्मिक मंत्रालय[8] के आदेशों का उल्लंघन करता था जिसमें बताया गया था कि ऐसी छूट प्रदान करने के लिए व्यय विभाग के अनुमोदन की आवश्यकता थी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और सूचित किया (नवम्बर 2016) कि आईआईटी, जोधपुर को अतिरिक्त भुगतान को रोकने और अतिरिक्त भुगतानों की वसूली करने का निर्देश दिया है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

13.3 परियोजना केन्द्रीय विद्यालय पर अनियमित व्यय

केवीएस ने लेखा संहिता की निर्धारित शर्तों के उल्लंघन में परियोजना केन्द्रीय विद्यालय पर व्यय किया। 31 मार्च 2016 को 81 परियोजना केवी जिनमें से 34 बंद हो गए थे और उनसे वसूली की संभावना बहुत कम थी, से ₹59.67 करोड़ प्राप्य थे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के अधीन एक स्वायत्त निकाय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) केन्द्रीय विद्यालय (केवी) की स्थापना और प्रबन्ध करता है। केवी की योजना इस शर्त पर कि इन विद्यालयों के चलाने पर सभी आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय प्रयोजक एजेंसियों द्वारा दिया जाएगा, पर उनके अनुरोध पर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू)/भारत सरकार (जीओआई) के स्वामित्व के उच्च शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के बच्चों को भी दी गई थी। केवीएस हेतु लेखा संहिता के परिशिष्ट 23 के पैराग्राफ 2 के अनुसार विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताएं, क्षेत्रीय कार्यालय तथा केवीएस मुख्यालय को सूचना देते हुए चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल तथा अक्तूबर में अग्रिम रूप में दो किश्तों में संबंधित केवी के बैंक खाते में जमा करने के लिए बजटीय निधियां (आवर्ती और अनावर्ती) जारी करके प्रायोजित एजेंसी द्वारा पूर्ण की जानी अपेक्षित हैं।

[8] कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, डीओपीटी ओएम दिनांक 6 फरवरी 2014 तथा 2 मार्च 2016

सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2004 की सं. 4) में लेखापरीक्षा ने प्रायोजक एजेंसियों द्वारा देयों का भुगतान न करने का उल्लेख किया था क्योंकि वर्तमान/कार्यरत परियोजना विद्यालयों तथा बन्द परियोजना विद्यालयों से मार्च 2003 तक क्रमशः ₹12.73 करोड़ तथा ₹11.84 करोड़ की राशि बकाया थी। बाद में पीएसी ने अपनी 2006-07 की छियालीसवीं रिपोर्ट में सलाह दी कि केवीएस को प्राप्य राशि वसूल करने के उद्देश्य से जीओआई के अन्य विभागों के समन्वय से एमएचआरडी द्वारा मामला शीघ्र सुलझाया जाय। समिति ने आगे सिफारिश की कि केवीएस को भविष्य में सावधान रहना चाहिए और पीएसयूज वाले ऐसे परियोजना स्कूलों को खोलने और चलाने की अपनी नीति पर भी पुनः विचार करना चाहिए ताकि ऐसे दृष्टान्तों को घटने से बचाया जा सके।

लेखापरीक्षा जांच (जुलाई 2015 तथा जुलाई 2016) में प्रकट हुआ कि मार्च 2016 तक 161 परियोजना विद्यालय थे जिनका 34 बन्द तथा 47 कार्यरत विद्यालयों से ₹59.67 करोड़ के प्राप्य वसूली योग्य थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि उन मामलों में जहाँ प्रयोजक एजेंसियों ने अपेक्षित भुगतान करने में चूक की वहाँ केवीएस ने स्टाफ के वेतन एवं भत्ता और अन्य आवर्ती तथा अनावर्ती खर्च को पूरा करने के लिए सरकारी अनुदानों को विपथित किया। निम्नलिखित तालिका दोषी प्रायोजक प्राधिकरणों से वसूली योग्य राशियों को दर्शाती है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	बन्द विद्यालय	वर्तमान विद्यालय	कुल
1.	2011-12	14.71	11.22	25.94
2.	2012-13	14.61	18.40	33.02
3.	2013-14	14.74	28.58	43.33
4.	2014-15	14.74	40.39	55.14
5.	2015-16	15.10	44.56	59.67

तालिका से यह देखा जा सकता है कि बन्द परियोजना विद्यालयों से बकाया राशि 2011-12 से 2015-16 तक ₹14.61 करोड़ से ₹15.10 करोड़ के बीच थी और वर्तमान विद्यालयों के संबंध में 2011-12 में ₹11.22 करोड़ से 2015-16 में ₹44.56 करोड़ तक बढ़ गई है। सरकारी अनुदानों के विपथन की नियमित प्रथा न केवल वित्तीय रूप से अविवेकी है बल्कि बजटीय प्रबन्धन और व्यय

नियंत्रण सिद्धान्त के भी विरूद्ध है। इससे मुख्य उद्देश्य, जिसके लिए ऐसा बजट आवंटित किया गया था, भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। यद्यपि सीएजी प्रतिवेदन 2004 की सं. 4 में प्रबन्धन/मंत्रालय के ध्यान में मामला लाया गया था और 2006-07 की 46वीं पीएसी रिपोर्ट की विशेष सिफारिशों कि मामला केवीएस को प्राप्य राशि वसूल करने के उद्देश्य से जीओआई के अन्य विभागों के समन्वय से एमएचआरडी द्वारा शीघ्र सुलझाया जाय परन्तु केवीएस ने अपनी वसूली प्रक्रिया को सरल तथा कारगर नहीं किया है क्योंकि बन्द परियोजनाओं से वसूली मार्च 2003 को समाप्त से मार्च 2016 को समाप्त तक क्रमशः ₹11.84 करोड़ से ₹15.10 करोड़ और वर्तमान विद्यालयों से ₹12.73 करोड़ से ₹44.56 करोड़ तक बढ़ गई है।

केवीएस ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2016 तथा अगस्त 2016) कि मामले की नियमित निगरानी की जा रही थी और इसे आयुक्त और माननीय एचआरएम-सह-अध्यक्ष, केवीएस तथा अन्य मंत्रालयों के माननीय प्रभारी मंत्रियों जिनके अधीन परियोजना विद्यालय कार्य कर रहे हैं, के स्तर पर उठाया जा रहा था। आगे यह बताया गया कि प्रशासनिक मंत्रालय के प्रयासों के परिणामस्वरूप ₹1.83 करोड़ की वसूली हुई है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि परियोजना केवी को बड़ी संख्या में बंद कर दिया गया है तथा प्रचलित परियोजना केवी से भी बड़े भुगतान देय है, यह सिफारिश की जाती है कि सरकार प्रत्याशित उद्देश्य की पूर्ति की तुलना में परियोजना केवी की संस्थापन प्रक्रिया की समीक्षा करें तथा उपयुक्त कार्रवाई करें। वसूली प्रक्रिया को भी पीएसी के निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु आक्रामक से प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

मामला जुलाई 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर

13.4 निर्माण कार्य ठेका तथा सम्पदा प्रबन्धन में अनियमितताएं

एमएनआईटी का सम्पदा प्रबन्धन पर्याप्त नहीं था क्योंकि एमएनआईटी द्वारा ₹1163.77 करोड़ की कीमत वाली अतिक्रमण भूमि का अधिकार वापस प्राप्त करने और राजस्व विभाग के साथ अपने भूमि अभिलेखों का मिलान करने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी। एमएनआईटी ने पट्टेधारियों के साथ अनुबन्ध नहीं किया था और समय-समय पर किराया पुनः निर्धारित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹58.67 लाख के किराया राजस्व की हानि हुई और ₹56.98 लाख का किराया पुनर्निर्धारण के बावजूद वसूल नहीं किया गया था। सभी छात्रों को हॉस्टल मुहैया नहीं किया गया था जैसा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की संविधियों के अधीन अपेक्षित था और 30.86 प्रतिशत छात्र हॉस्टल सुविधा से वंचित हुए थे। एमएनआईटी का कार्य ठेका तन्त्र अपूर्ण था क्योंकि अधिक आवासीय क्वार्टरों का निर्माण किया गया था। एमएनआईटी ने आर्थिक सहायता के लिए आरईआईएल को ₹1.47 करोड़ का अनुचित भुगतान किया और ठेकेदार के दावों से ₹3.22 करोड़ रोकने/काटने में विफल हो गया।

मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी[9]), जयपुर भारत सरकार (जीओआई) तथा राजस्थान सरकार (जीओआर) के संयुक्त उद्यम के रूप में 1963 में स्थापित किया गया था। 26 जून 2002 को कॉलेज ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एऩआईटी) का स्तर प्राप्त किया और 15 अगस्त 2007 को संसद के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित हुआ। संस्थान पूर्णतया मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), जीओआई द्वारा वित्पोषित किया जाता है।

संस्थान का प्रबन्ध शासी बोर्ड (बीओजी) द्वारा किया जाता है जिसकी वित्त समिति, भवन तथा कार्य समिति (बीडब्ल्यूसी) और सीनेट द्वारा की जाती है। अकादमी का प्राचार्य होने पर निदेशक और संस्थान का कार्यकारी अधिकारी संस्थान के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं।

[9] पुराना मालवीय क्षेत्रीय अभियंत्रिकी महाविद्यालय

विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) 2013-16 की अवधि के लिए अप्रैल 2016 से अगस्त 2016 के बीच की गई थी। 2013-16 के दौरान एमएनआईटी द्वारा किए गए ₹313.02 करोड़ के संस्वीकृत/ठेका मूल्य वाले 60 कार्यों में से ₹284.57 करोड़ के संस्वीकृत/ठेका मूल्य वाले 33 कार्यों का नमूना मुख्य तथा अन्तर्गस्त संस्वीकृत व्यय के आधार पर विभिन्न मानदण्ड[10] पूरे कर स्तरीकृत प्रतिदर्श विधि के आधार पर चयन किया गया था।

13.4.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

13.4.3 एमएचआरडी से वित्तपोषण

एमएचआरडी द्वारा जारी योजनागत अनुदान और किए गए व्यय के वर्षवार ब्यौरे नीचे तालिका में प्रदर्शित हैः

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एमएनआईटी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक योजना			एमएचआरडी से प्राप्त अनुदान	निर्माण एवं नवीनीकरण कार्यों हेतु निर्माण एजेंसियों को जारी निधियां	किया गया व्यय
	निर्माण और नवीकरण गतिविधियां	अन्य गतिविधियां	कुल			
2013-14	145.53	46.74	192.27	58.00	41.83	36.55
2014-15	101.34	22.85	124.19	100.00	72.90	84.25
2015-16	250.27	52.43	302.70	72.00	80.33	76.44
कुल	**497.14**	**122.02**	**619.16**	**230.00**	**195.06**	**197.24**

2013-16 के दौरान, एमएनआईटी द्वारा प्रस्तुत ₹619.16 करोड़ की वार्षिक योजनाओं में से एमएचआरडी ने केवल ₹230.00 करोड़ जारी किए जो कुल वार्षिक योजना का 37 प्रतिशत था। यद्यपि निर्माण कार्यकलापों के लिए ₹497.14 करोड़ की आवश्यकता थी परन्तु एमएनआईटी निर्माण कार्यों के लिए निर्माण एजेंसियों को ₹195.06 करोड़ जारी कर सका। एमएनआईटी ने

[10] ₹10 लाख तक (10 *प्रतिशत*), ₹10 लाख से अधिक से ₹50 लाख तक (50 *प्रतिशत*) , ₹50 लाख से अधिक से ₹100 लाख तक (50 *प्रतिशत*), ₹100 लाख से अधिक तक (100 *प्रतिशत*) निर्माण कार्यों तथा 01 अप्रैल 2013 को ₹ 100 लाख से अधिक (50 *प्रतिशत*) के चालू निर्माण कार्यों की संस्वीकृत राशि

एमएचआरडी द्वारा निधियों के कम निर्गम के कारण और एमएचआरडी से शेष निधियां जारी करने के लिए किए गए प्रयास भेजे नहीं थे।

एमएनआईटी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि 2013-14 तथा 2015-16 के लिए योजित महत्वपूर्ण मुख्य कार्य आरम्भ/पूर्ण नहीं किए जा सके और एमएचआरडी से निधियों के कम निर्गम के कारण सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों को भी निधियां जारी नहीं की जा सकीं।

13.4.4 सम्पदा प्रबन्धन

13.4.4.1 राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि का उपयोग

जीओआर ने 1964 तथा 1979 के बीच 192.01 हेक्टेयर (हेक्टे) भूमि आवंटित की। आवंटित भूमि और मार्च 2016 तक एमएनआईटी के पास उपलब्ध भूमि के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैः

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

क्र. सं.	एमएनआईटी को आवंटित भूमि		एमएनआईटी के नाम दर्ज भूमि (तहसीलदार सांगनेर के पत्र 20-03-2002 एवं 21-12-2002 के अनुसार		
	आदेश सं. एवं दिनांक	क्षेत्र	जीओआर द्वारा अन्य को हस्तान्तरित भूमि		एमएनआईटी के नाम में भूमि क्षेत्र
			हस्तान्तरिती का नाम	क्षेत्र	
1.	63/12-08-1964 एवं 82/28-08-1972	29.86	केन्द्रीय विद्यालय सं. 3	5.05	131.62
2.	63/15-06-1966 एवं 218/14-12-1979	13.35	सरकारी विभाग	35.40	
3.	63/15-06-1966 एवं 27-07-1967 एवं 81/28-08-1972	128.78	अन्य के नाम	17.51	
4.	62/27-06-1966 एवं 80/28-08-1972	20.02	कम माप/दर्ज	2.43	
	कुल	**192.01**	**कुल**	**60.39**	**131.62**

तहसीलदार, सांगनेर की सीमांकन रिपोर्ट (दिसम्बर 2012) के अनुसार, एमएनआईटी के नाम में आरम्भ में 192.01 हैक्टे भूमि थी परन्तु एमएनआईटी के नाम में वास्तव में 131.62 हेक्टेयर (जामाबन्दी के अनुसार 130.64 हेक्टेयर ब्यौरे राजस्व विभाग, जीओआर की बेवसाइट पर उपलब्ध) दर्ज की गई

थी और शेष 60.39 हेक्टे प्राइवेट पार्टियों और अन्य सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों विभागों को हस्तान्तरित की गई थी। यद्यपि 131.62 हेक्टेयर का स्वामित्व एमएनआईटी के नाम हस्तान्तरित किया गया परन्तु मुकदमाधीन 8.48 हेक्टेयर सहित ₹1163.77 करोड़[11] मूल्य की 25.73 हेक्टेयर अतिक्रमित थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमएनआईटी ने राजस्व विभाग के साथ अपने अभिलेखों का मिलान नहीं किया और जीओआर द्वारा उनको हस्तान्तरित 192.01 हेक्टेयर में से अन्य पार्टियों को 60.39 हैकेटे के हस्तान्तरण के कारणों की जींच नहीं की थी। इसके अलावा 17.25 हेक्टेयर (25.75 हेक्टेयर-8.48 हेक्टेयर) अतिक्रमित भूमि के मामले में सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2011-12 का 13) के पैराग्राफ सं. 3.5.1 में लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बावजूद भूमि का अधिकार वापस प्राप्त करने के लिए गत 14 वर्षों से एमएनआईटी द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है।

एमएनआईटी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि उन्होंने एमएनआईटी कैम्पस से अतिक्रमण हटाने के लिए और की भूमि जो आरम्भ में एमआरईसी को आवंटित की गई थी, को हस्तान्तरित करने के लिए जीओआर के विभिन्न अधिकारियों से अनुरोध किया है। तथापि अतिक्रमण हटाने और अन्य एजेंसियों को हस्तान्तरित भूमि के पुनः हस्तान्तरण के लिए 2011 के बाद प्रभावी प्रयास नहीं किए गए थे।

13.4.4.2 वाणिज्यिक कार्यकलापों के लिए स्थान आवंटन

एमएनआईटी ने अपने कैम्पस के अन्दर वाणिज्यिक कार्यकलापों के लिए विभिन्न सत्त्व को स्थान आवंटित किया। पाई गई कमियों यथा अनुबन्ध न करना, किराए के पुनर्निधारण में विलम्ब और किराए की कम वसूलियों पर नीचे चर्चा की गई हैः

[11] इस क्षेत्र के लिए जिलास्तरीय पंजीकरण एवं स्टम्प विभाग, जीओआर द्वारा निर्धारित दर के अनुसार 257300 वर्ग मी.X₹42,530 प्रति वर्ग मी.

क्र. सं.	पट्टाधारी का नाम (आवंटन की तारीख)	लेखापरीक्षा आपत्ति
1.	आईसीआईसीआई बैंक[12] (04-10-1972) और एटीएम (08-09-2004)	अनुबन्ध नहीं किया गया (मार्च 2016)। यद्यपि एमएनआईटी ने (अगस्त 2010) 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि किए जाने के लिए ₹54496 प्रतिमाह सीपीडब्ल्यूडी प्रतिमानों के अनुसार किराया पुनः निर्धारित किया परन्तु ₹353 का मासिक किराया वसूल करना जारी थी परिणामस्वरूप सितम्बर 2010 से अगस्त 2016 के दौरान ₹50.20 लाख (10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ) किराये की कम वसूली हुई।
2.	(i) काफी कार्नर (28.02.2003), (ii) डाकघर (22.11.1971), (iii) मिल्क बूथ (उपलब्ध नहीं), (iv) कपड़ा धुलाई तथा आयरन शॉप (31.10.2003) (v) बार्बर शॉप (19.05.2004), (vi) उपहार को आपरेटिट शॉप (उपलब्ध नहीं) (vii) मै. 1589 कोर (11-07-2014)	पट्टाधारियों के साथ निष्पादित किसी अनुबन्ध के अभाव में मासिक किराया गत तीन से 14 वर्षों के दौरान संशोधित नहीं किया गया था। तथापि यदि मासिक किराए पीडब्ल्यूडी प्रतिमानों के आधार पर पुनर्निर्धारित किया गया होता जैसा आईसीआईसीआई बैंक के लिए पुनर्निर्धारित किया गया होती तो दिए गए 197.44 वर्गमीटर स्थान के लिए ₹58.67 लाख (₹412.75 प्रति वर्ग मीटर की दर पर) का किराया सितम्बर 2010 तथा अगस्त 2016 के बीच वसूल किया जा सकता था।
3.	भारतीय स्टेट बैंक	अनुबन्ध उपलब्ध नहीं करवाया गया। यद्यपि मासिक किराया एमएनआईटी द्वारा ₹52127 पुनर्निर्धारित (अगस्त 2015) किया गया था परन्तु अगस्त 2015 से अगस्त 2016 तक की अवधि के लिए ₹6.78 लाख का संशोधित मासिक किराया वसूल नहीं किया गया था।

एमएनआईटी ने बताया (नवम्बर 2016) कि वाणिज्यिक स्थानों का किराया निर्धारित करने के लिए मुख्य अभियन्ता, सीपीडब्ल्यूडी को कहा है (अक्तूबर 2016) और वाणिज्यिक स्थान के पट्टे के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक अनुबन्ध किया गया है (अगस्त 2016)। उन्होंने आगे बताया कि कैम्पस में एक राष्ट्रीयकृत बैंक रखने के उद्देश्य से एसबीआई को प्रचालन आरम्भ करने

[12] पुराना बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड

की अनुमति दी गई थी और अस्थाई रूप से मुफ्त परिसर दिया गया था परन्तु अदा पट्टा अनुबन्ध के अन्तर्गत आईसीआईसीआई बैंक को प्रस्तुत दरों पर वाणिज्यिक स्थान मुहैया किया जा रहा है।

तथापि, जहाँ किराया पहले ही पुनर्निर्धारित किया गया है वहाँ संशोधित किराया वसूल न करने के कारण बताए नहीं गए हैं।

13.4.4.3 अपर्याप्त हॉस्टल आवास

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) की पहली संविधियों की धारा 38(1) प्रावधान करती है कि प्रत्येक संस्थान एक आवासीय संस्थान होगा और सभी छात्र तथा अनुसंधान स्कालर संस्थाओं द्वारा निर्मित हॉस्टलों तथा आवास के हॉल में रहेंगे। एमएनआईटी में 2013-14 से 2015-16 के दौरान नामांकित छात्रों/स्कालरों, हॉस्टल क्षमता और संस्थान के हॉस्टलों में नामांकित छात्रों/स्कालरों के वर्षवार ब्यौरे निम्नवत थेः

वर्ष	छात्रों की संख्या/अपेक्षित आवास	उपलब्ध हॉस्टल सीटों की संख्या	हॉस्टलों[13] में ठहराए छात्रों की संख्या	एमएनआईटी द्वारा न दी गई हॉस्टल सुविधा	
				छात्रों की संख्या	प्रतिशतता
2013-14	4298	3111	3024	1274	29.64
2014-15	4400	3119	3009	1391	31.61
2015-16	4407	3119	3028	1379	31.29
कुल	**13105**	**9349**	**9061**	**4044**	**30.86**

लेखापरीक्षा ने देखा कि संविधियों में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद छात्रों/स्कालरों (नामांकित 2922 में से 1044 छात्राएं) के कुल नामांकन के औसत 30.86 प्रतिशत अपर्याप्त आवास सुविधा के कारण 2013-14 से 2015-16 के दौरान हॉस्टल सुविधा से वंचित हो गए थे।

एमएनआईटी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि हॉस्टल सुविधा मात्र यूजी छात्रों के लिए पर्याप्त है और संस्थान में नामांकित सभी छात्र/स्कालर हॉस्टल आवास लेने के इच्छुक नहीं थे। तथापि, 884 बिस्तर वाला महिला हॉस्टल

[13] हॉस्टल की सीटों से कम छात्रों की संख्या को स्थान प्रदान किया जाना कार्यालयों, अथितिकक्षों आदि हेतु स्थान का उपयोग किये जाने के कारण था तथा कुछ कमरों क्षतिग्रस्थ हैं।

निर्माणधीन है और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन 1500 बिस्तर वाला बॉय हॉस्टल योजना के अधीन है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि छात्रों की इच्छा सुसंगत नहीं है क्योंकि संविधि संस्थान के कैम्पस में छात्रों के अनिवार्य आवास का अधिदेश करती है और अपवाद मामलों में जहाँ निदेशक किसी छात्र/स्कालर को उसके अभिभावक के साथ रहने की अनुमति देता है, इस प्रकार की सीट के किराए का भुगतान छात्र/स्कालर द्वारा वहन किया जाएगा। यह उल्लेख करना भी प्रसंगिक है कि सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2011-12 का 13) के पैराग्राफ 3.5.5 द्वारा एमएनआईटी में अपर्याप्त हॉस्टल सुविधाओं के बावजूद संस्थान में नामांकित सभी छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा देने के लिए एमएनआईटी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

13.4.5 कार्य की आयोजना में कमियां

13.4.5.1 अधिक आवासीय क्वार्टरों का निर्माण

एमएनआईटी को लागू जीओआई के आवास नियमों के प्रावधानों के अनुसार ₹10000 का ग्रेड पे तथा ₹67000 से ₹74999 का मूल वेतन आहरित करने वाले अधिकारी क्रमशः टाइप VI ए एवं VI बी क्वार्टरों के हकदार हैं और जहाँ टाइप VI आवास टाइप VI ए एवं VI बी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है वहाँ टाइप VI के लिए पात्र सभी स्टाफ एक साथ समूहित किया जाएगा। एमएनआईटी में ₹10000 के ग्रेड पे में अधिकारियों की संस्वीकृत संख्या, 44, 44 तथा 68 थी और तैनात व्यक्ति वर्ष 2013-14, 2014-15, तथा 2015-16 के दौरान क्रमशः 46, 44 तथा 41 थी। कोई भी अधिकारी ₹10000 के ग्रेड पे से अधिक वेतन आहरित नहीं कर रहा था। एमएनआईटी के पास एक टाइप ए (निदेशक के लिए आरक्षित) और 17 टाइप बी क्वार्टर थें (₹10000 के ग्रेड पे आहरित करने वाले अधिकारी हकदार)।

एमएनआईटी ने 198 टाइप VI क्वार्टरों के निर्माण करने का निर्णय किया (अक्तूबर 2012)। कार्य ₹115.52 करोड़ के लिए सौंपा गया था (जनवरी 2014) और ₹94.50 करोड़ की राशि सीपीडब्ल्यूडी के पास जमा की गई थी (अगस्त 2016)। लेखापरीक्षा ने पाया कि एमएनआईटी ने 68 हकदार अधिकारियों की

संस्वीकृत संख्या और 18 टाइप VI क्वार्टरों की उपलब्धता के अनुसार 50 अतिरिक्त क्वार्टरों की आवश्यकता के प्रति 198 टाइप VI क्वार्टरों का निर्माण करने का निर्णय लिया। यह आगे पाया गया था कि बीडब्ल्यूसी बैठक (अक्टूबर 2012) की कार्यसूची/कार्यवृत्त में 198 क्वार्टरों के निर्माण के लिए कोई औचित्य उपलब्ध नहीं था।

एमएनआटी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि 198 क्वार्टरों का कार्य पांच से दस वर्षों की समय सीमा में संस्थान में शिखर गुणवत्ता प्रोफेसरों के कम से कम 200 पद आकर्षित करने, भर्ती करने और सुरक्षित रखने की दृष्टि के साथ आरम्भ किया गया था। तथापि संस्थान इस आवासीय परिसर के ब्लाकों में छात्रों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुनः प्रतीक्षा कर रहा होगा।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अपने छात्रों को हॉस्टल सुविधा, जो संविधि के अनुसार अनिवार्य था, मुहैया करने की अपेक्षा अधिक आवासीय आवास का निर्माण खराब आयोजना दर्शाता है। आवासीय परिसर में छात्रों को स्थान देने का तर्क तत्काल व्यवहार्य नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें परिवर्तनों की आवश्यकता हो सकती है और उससे राजकोष पर भार पड़ेगा।

इस प्रकार, ₹86.35 करोड़ की लागत पर अधिक 148 (198-50) टाइप VI क्वार्टरों का निर्माण एक योजना विफलता थी।

13.4.5.2 तकनीकी संस्वीकृति न दिया जाना

सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तक का खण्ड 2.5 एवं 2.5.1 अनुबद्ध करता है कि तकनीकी संस्वीकृति एक गारंटी होती है कि प्रस्ताव तकनीकी रूप से सुदृढ़ है और कि अनुमान सही तैयार किए जाते हैं और पर्याप्त डाटा पर आधारित हैं।

एमएनआईटी के सम्पदा अनुभाग द्वारा निष्पादित 11 कार्यों में, ₹6.05 करोड़ राशि के अनुमानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा टीएस नहीं दिया गया था। यह दर्शाता है कि अनुमानों की कार्य आरम्भ करने से पूर्व उचित प्रकार संवीक्षा नहीं की गई थी।

एमएनआईटी ने बताया (नवम्बर 2016) कि संस्थान भिन्न स्तर के अधिकारियों में निहित शक्तियों वाले निर्माण कार्य विभाग के समान ढांचा नहीं रखता है। संस्थान एनआईटी संविधियों के प्रावधानों के अनुसार बीडब्ल्यूसी/बीओजी के अनुमोदन पर कोई कार्य आरम्भ करता है। तथापि टीएस जारी करने का पालन किया जाएगा।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एमएनआईटी की पूर्णरूपेण सम्पदा शाखा है जिससे ₹96.27 करोड़ मूल्य के सिविल कार्य कराए गए हैं। तकनीकी सुदृढ़ता और अनुमानों की यथातथ्यता सुनिश्चित करने के लिए भिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा अनुमान की जांच करना अपेक्षित है और तथ्य यह शेष रहे कि उल्लिखित कार्यों में टीएस नहीं दिए गए थे।

13.4.6 कार्य सौंपने में अनियमितताएं

13.4.6.1 वित्तीय बोली का गलत मूल्यांकन परिणामस्वरूप उच्च दरों पर कार्य सौंपा गया।

एमएनआईटी ने विवेकानन्द लेक्चर थिएटर काम्प्लेक्स (वीएलटीसी) के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की (जून 2012)। कार्य एल 1 होने पर मै. केएमवी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (केएमवी) जिसने ₹62.07 करोड़ उद्धारित किए, को सौंपा गया था (सितम्बर 2012)। बातचीत के बाद उद्धारित दर आगे ₹61.97 करोड़ तक कम की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मिट्टी कार्य की मद सं. 9[14] की मात्रा निविदा दस्तावेजों में 47910 के बजाय 479100 वर्गमीटर के रूप में गलत उल्लेख की गई थी, जो पूर्व बोली बैठक (15.06.2012) में सुधारी गई थी। मै. रीनेसेंस बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड (एल-4) की वित्तीय बोली में इस मद की दर का कार्य की वास्तविक मात्रा को ध्यान में रखकर ₹3.58 लाख के स्थान पर ₹3.58 करोड़ के रूप में गलत प्रकार उल्लेख किया गया था। यदि एमएनआईटी ने वित्तीय बोलियों का उचित प्रकार मूल्यांकन किया होता तो मै. रिनाइसेंस की दर ₹61.69 करोड़ के रूप में होती और वे एल-1 होते। इस प्रकार वित्तीय बोलियों

[14] मैदान की सतह ड्रैसिंग

के अनुचित मूल्यांकन के परिणामस्वरूप कार्य ₹0.38 करोड़ तक अधिक दरों पर सौंपा गया (₹62.07 करोड़- ₹61.69 करोड़)।

एमएनआईटी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली (नवम्बर 2016) और उत्तर दिया कि स्थान पर वास्तविक निष्पादन पर, केएमवी की राशि मै. रीनाइसेंस बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड से कम ₹0.88 करोड़ है।

13.4.6.2 बातचीत के माध्यम से कार्य का अनियमित सौंपा जाना

सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम-पुस्तक का खण्ड 20.4.7 अनुबद्ध करता है कि बातचीत, यदि आवश्यक पाया जाए, केवल निम्नतम निविदादाता तक सीमित की जानी चाहिए। इसके अलावा, सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के प्रावधान भी केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सिफारिशों के अनुसार एल-1 बोलीदाता को छोड़कर पश्च-निविदा बातचीत पर प्रतिबन्ध का उल्लेख करता है।

मै. जैन इरीगेशन सिस्टम लिमिटेड (एल-1) ने '300 केडब्ल्यूपी (प्रत्येक 50 केडब्ल्यूपी की 6 यूनिटें) की रूफ टाप एसपीवी प्रणाली की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन, परीक्षण, चालू करने और अनुरक्षण' के लिए ₹488.55 लाख का निम्तम मूल्य उद्धारित किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि एमएनआईटी ने इन दरों का मै. राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्स्ट्रेमेंटस लिमिटेड (आरईआईएल) को प्रस्तुत किया इन दरों की स्वीकृति पर ठेका आरईआईएल को दिया गया था (जून 2013)। एमएनआईटी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम-पुस्तक के प्रावधानों के उल्लंघन में थी।

एमएनआईटी ने बताया (नवम्बर 2016) कि निविदा मूल्यांकन की कार्यप्रणाली पूर्वनिर्धारित थी और बोली दस्तावेज में स्पष्टतया दी गई थी, सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया पारदर्शी तथा उचित रीति में निष्पादित की गई थी और कोई पश्च-निविदा बातचीत नहीं की गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एमएनआईटी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम-पुस्तक के प्रावधानों और एल-3 के साथ पश्च निविदा बातचीत की राशि जो जीएफआर/सीवीसी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन था, के प्रतिकूल थी।

13.4.7 कार्य के निष्पादन में अनियमितताएं

13.4.7.1 ₹1.47 करोड़ का अनुचित भुगतान

300 केडब्ल्यूपी (प्रत्येक 50 केडब्ल्यूपी की 6 यूनिटें) की रूफ टॉप सोलर फोटो वाल्टिक (एसपीवी) की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन, परीक्षण, चालू करने और अनुरक्षण का कार्य आदेश ₹4.89 करोड़ (₹1.47 करोड़ की 30 प्रतिशत आर्थिक सहायता सहित) की कुल परियोजना लागत पर आरईआईएल को दिया गया था (जून 2013)। कार्य अगस्त 2014 में पूर्ण हुआ था। कार्य आदेश की शर्तों तथा निबन्धनों के अनुसार एमएनआईटी को 30 प्रतिशत आर्थिक सहायता समायोजित करने के बाद आरईआईएल को ₹3.42 करोड़ का भुगतान करना अपेक्षित था।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के अन्तर्गत एमएनआईटी में 300 केडब्ल्यूपी परियोजना संस्वीकृत की (दिसम्बर 2013) और 31 अगस्त 2014 तक वैध थी। एमएनआरई की संस्वीकृति के अनुसार, आरईआईएल एमएनआईटी को आर्थिक सहायता राशि का कर निवल बीजक प्रस्तुत करेगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि आरईआईएल ने एमएनआरई से प्राप्त आर्थिक सहायता राशि घटाए बिना बीजक प्रस्तुत किए और एमएनआईटी ने कार्य आदेश साथ ही साथ एमएनआरई संस्वीकृति के उल्लंघन में दिसम्बर 2014 में ₹4.38[15] करोड़ का भुगतान कर दिया।

एमएनआईटी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि एमएनआरई ने आगामी परियोजनाओं के लिए सीएफए संस्वीकृत किया और इसलिए इस परियोजना हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं थी।

एमएनआईटी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एमएनआरई का पत्र (दिसम्बर 2013) स्पष्टतया उल्लेख करता है कि उपर्युक्त परियोजना सीएफए के लिए संस्वीकृत की गई थी और 31 अगस्त 2014 तक वैध थी। इसके अलावा एमएनआईटी ने भी आरईआईएल से आर्थिक सहायता की राशि का दावा किया

[15] अनुबंध की शर्त के अनुसार ₹46.00 लाख की कटौती के बाद

है (अगस्त 2015)। इस प्रकार, एमएनआईटी ने आर्थिक सहायता के लिए आरईआईएल को ₹1.47 करोड़ का अनुचित भुगतान किया।

13.4.7.2 निविदा शर्तों के अनुसार ठेकेदार के बिलों से राशियों की कटौती न करना

निम्नलिखित चार मामलों में, ठेके की शर्तों के अनुसार कार्य की धीमी प्रगति, कार्य का विलम्बित समापन और विद्युत प्रभारों के लिए चार ठेकेदारों से ₹294.66 लाख की राशि की कटौती नहीं की थीः

क्र.सं.	कार्य का नाम (ठेकेदार का नाम)	अपनाए न गए सीपीडब्ल्यूडी प्रावधान/निविदा शर्तें	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	एमएनआईटी का उत्तर और लेखापरीक्षा की आगे टिप्पणियां
1.	वीएलटीसी का निर्माण (मै. केएमवी प्रोजेक्ट्स)	ठेका की सामान्य शर्तों का खण्ड 5 प्रावधान करता है कि ठेकेदार को अनुसूची एफ में निर्धारित माईलस्टोन के अनुसार कार्य भौतिक प्रगति प्राप्त करनी पड़ती है और भौतिक माईलस्टोन प्राप्त न करने के मामले में कार्य के निविदा मूल्य पर प्रतिशतता राशि (कार्य के भिन्न चरणों के लिए निर्धारित) ठेकेदार के भुगतान से रोकी जानी थी।	यद्यपि ठेकेदार भौतिक माईलस्टोन प्राप्त करने में विफल हो गए परन्तु निविदा शर्तों के अनुसार ₹284.29 लाख रोके नहीं गए थे परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय सहायता हुई।	एमएनआईटी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि कार्य डिजाइन तथा ड्राइंग के देरी से अंतिम रुप देने और अन्य कारणों से विलम्बित हुआ था और विलम्ब तथा शास्ति का निपटान अन्तिम भुगतानों के समय पर किया जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एमएनआईटी द्वारा किसी बाधा रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था और कार्यों की स्थितिवार प्रगति की न तो निगरानी की गई थी और न ही विलम्ब के लिए समय सीमा की वृद्धि संस्वीकृत की गई थी।
2.	एसटीपी का निर्माण (मै. एसएस इंजीनियरिंग कारपोरेशन)			
3.	धातुकर्मीय इंजीनियरी विभाग का नवीकरण (मै. वर्धमान फैब टेक)			

4.	एक अतिरिक्त तल का निर्माण एवं अतिथि गृह सं. 1 में शौचालय एवं रसोई का नवीकरण (मै. किशन सहाय मीना)	अनुबन्ध के खण्ड 2 के अनुसार निविदागत मूल्य पर विलम्ब के लिए 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर पर (प्रतिदिन पर संयोजित किए जाने के लिए) क्षतिपूर्ति लगाई जानी थी यदि ठेकेदार निर्धारित समय अवधि के अन्दर कार्य पूरा करने में विफल होता है जो कार्य के निविदा मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	यद्यपि ठेकेदारों ने समापन की निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूरा नहीं किया परन्तु क्षतिपूर्ति के उद्ग्रहण बिना समय सीमा वृद्धि संस्वीकृत की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि एमएनआईटी में बाधा रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था और विलम्ब के लिए ₹10.37 लाख की क्षतिपूर्ति उद्ग्रहीत न करने के कारण बताए नहीं गए थे।	एमएनआईटी ने बताया (नवम्बर 2016) कि निविदा की शर्तों तथा निबन्धनों का पालन करने का उत्तरदायित्व सीपीडब्ल्यूडी का है तथापि सीपीडब्ल्यूडी ने कोई उत्तर नहीं भेजा है।

13.4.7.3 ठेकेदार के बिलों से सांविधिक कटौतियों तथा अग्रिमों की कम वसूली/वसूली न करना

निम्नलिखित मामलों में रायल्टी, मूल्यवर्धित कर, सेवाकर तथा अग्रिमों के लिए ठेकेदारों से ₹27.83 लाख की राशि कम वसूली गई/वसूली नहीं गई थी जैसी नीचे चर्चा की गई है:

क्र. सं.	कार्य का नाम (ठेकेदार का नाम)	अपनाए न गए सीपीडब्ल्यूडी प्रावधान/निविदा शर्तें	लेखापरीक्षा आपत्ति	एमएनआईटी का उत्तर और लेखापरीक्षा की आगे टिप्पणियां
1.	**अनुबन्ध-V** में विस्तृत 12 कार्यों में	खनन विभाग जीओआर के परिपत्र (नवम्बर 2011 एवं जनवरी 2013) के अनुसार प्रत्येक ठेकेदार कार्य आरम्भ करने से पूर्व लघुअवधि परमिट (एसटीपी) प्राप्त करें अथवा सम्बन्धित खनन इंजीनियर से रायल्टी निर्धारित कराए और निर्धारित दर पर तदनुसार रायल्टी का भुगतान करे।	यद्यपि ठेकेदारों ने जीओआर परिपत्रों की शर्तों का पालन नहीं किया परन्तु ₹18.42 लाख की रायल्टी ठेकेदार के बिलों से वसूली नहीं गई थी/कम वसूली गई थी।	तीन मामलों में लेखापरीक्षा के कहने पर ₹.0.51 लाख की रॉयल्टी वसूली की गई है और शेष मामलों में या तो इसका प्रस्ताव किया गया है अथवा ठेकेदार को रायल्टी जमा करने के लिए कहा गया है जैसा एमएनआईटी द्वारा सूचित किया गया (नवम्बर 2016)।
2	**अनुबन्ध-VI** में विस्तृत पांच मामलों में	जीओआर द्वारा जारी परिपत्र (मार्च 2015) के अनुसार मूल्य वर्धित कर (वैट) ठेकेदार से 01 अप्रैल 2015 से तीन प्रतिशत के स्थान पर छः प्रतिशत की दर पर वसूल किया जाना है।	₹5.80 लाख का वैट ठेकेदारों से कम वसूल किया गया था।	तीन मामलों में लेखापरीक्षा के कहने पर ₹3.87 लाख का वैट वसूल किया गया है, एक मामले में ठेकेदार को शेष वैट जमा करने के लिए कहा गया है जैसा एमएनआईटी द्वारा सूचित किया गया (नवम्बर 2016) और शेष एक मामले में कोई उत्तर नहीं भेजा गया था।
3.	वीएलटीसी में यूपीवीसी विंडोज का प्रावधान एवं स्थापित करना (मै. यूनीसिस्टम)	सेवाकर (एसटी) मूल्य निर्धारण) द्वितीय संशोधन नियम 2012 का नियम 2ए **(ii)**(ए), कार्य ठेका के लिए प्रभारित कुल राशि के 40 प्रतिशत पर एसटी का भुगतान किया जाएगा।	40 प्रतिशत के बजाय कार्य मूल्यों के 70 प्रतिशत पर एसटी का दावा किया गया परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹3.61 लाख की राशि के एसटी का अधिक भुगतान हुआ।	एमएनआईटी ने बताया (नवम्बर 2016) कि 70 प्रतिशत मूल्य पर प्रदत्त एसटी सही था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यूपीवीसी विन्डोज का प्रावधान करने और स्थापित करने के कार्य पर कार्य के मूल्य का 40 प्रतिशत एसटी लगता है।

13.4.7.4 अग्रिम का निपटान न करना

सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तक के अनुसार निक्षेप कार्यों के प्रति लेखाओं का समाधान शीघ्र किया जाना है ताकि राशि लम्बे समय तक असमाशोधित नहीं रहती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि आवास विकास संस्थान लिमिटेड को प्रदत्त ₹22.12 लाख का अग्रिम 15 वर्षों से अधिक समय से बकाया था और समाशोधित/वसूल नहीं किया गया था। एमएनआईटी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि लेखा के समाशोधन और निपटान के लिए प्रयास किए जाएंगे।

13.4.8 निष्कर्ष

एमएनआईटी अतिक्रमित भूमि के निराकरण के लिए प्रभावी प्रयास करने में विफल हुआ। किराए के पुनर्निर्धारण में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि उठाई और पट्टाधारियों से संशोधित किराया वसूल नहीं किया गया था। संस्थान 30.86 प्रतिशत नामांकित छात्रों को हॉस्टल आवास प्रदान करने में विफल हुआ और आवासीय क्वार्टरों का अधिक निर्माण किया गया था। वित्तीय बोली के गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरूप एक अपात्र फर्म को उच्च दर पर कार्य दिया गया। आर्थिक सहायता प्राप्त न करने के कारण अनुचित भुगतान के मामले, कार्य की धीमी प्रगति के कारण ठेकेदारों से सांविधिक देय राशि की वसूली न किए जाने और कटौती न किए जाने के मामले पाए गए थे।

मामला सितम्बर 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद

13.5 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद में निर्माण कार्यकलाप

सीपीडब्ल्यू द्वारा कार्य सौंपने में एक से 17 माह के विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 19.35 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई। आरजीआईआईटी, अमेठी में प्रशासनिक तथा अकादमिक भवन का निर्माण कार्य रोक दिया गया जिसकी परिणामस्वरूप ₹ 39.81 करोड़ का व्यय करने के बाद भी अभिप्रेत लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

सूचना प्रौद्योगिकी में श्रेष्ठता के केन्द्र के रूप में 1999 में स्थापित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (संस्थान) और सम्बद्ध क्षेत्र को 2000 में भारत सरकार द्वारा डीम्ड-विश्वविद्यालय स्थिति प्रदान की गई थी। भारत सरकार ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2014 प्रस्तुत किया और अधिनियम की अधिसूचना के बाद देश के अन्य चार एमएचआरडी वित्तपोषित आईआईआईटी के सहित आईआईआईटी इलाहाबाद 01 दिसम्बर 2014 से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हो गए। राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अमेठी (आरजीआईआईटी, अमेठी) 11वीं योजना अवधि (2007-2012) के दौरान स्वतन्त्र इकाई के रूप में विकसित किए जाने के लिए संस्थान के विस्तार कैम्पस के रूप में स्थापित किया गया था (अप्रैल 2005)।

2011-12 से 2015-16 के दौरान संस्थान ने आईआईआईटी, इलाहाबाद तथा आरजीआईआईटी, अमेठी में निर्माण कार्यकलापों पर ₹ 171.09 करोड़ खर्च किया। 2011-12 से 2015-16 तक पांच वर्षों के निर्माण कार्यकलापों के लिए आईआईआईटी, इलाहाबाद की लेखापरीक्षा की गई थी और अभिलेखों की जांच के दौरान पाई अनियमितताओं पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

13.5.2 कार्य सौंपने में अनियमितता

13.5.2.1 अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि संस्थान ने 2008-09 से 2012-13 तक के दौरान सीपीडब्ल्यूडी को दस प्रमुख कार्य सौंपे। यद्यपि संस्थान ने सीपडब्ल्यूडी को प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति (एएएण्डईएस) सूचित की परन्तु सात कार्यों के ठेका निर्णय निविदा आमंत्रण प्रक्रिया आदि के समापन में विलम्ब के कारण विलम्बित हुए थे। कार्य के निर्णय में विलम्ब एक माह से 17 माह के बीच थे (एएएण्डईएस के अनुमोदन की तारीख से कार्य सौंपने के लिए छः माह की उचित समय सीमा (ऊपरी सीमा देने के पश्चात)। लेखापरीक्षा ने पाया कि सात कार्यों के लिए एएएण्डईएस ₹ 84.07 करोड़ था ओर इन निर्माण कार्यों को सौंपने में देरी के कारण निविदागत लागत ₹103.45 करोड़ तक बढ़ गई। निविदा लागत की प्रतिशतता वृद्धि 10.58 प्रतिशत से 33.25 प्रतिशत तक के बीच थी। इस प्रकार सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य सौंपने मे विलम्ब परिणामस्वरूप ₹19.35 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

संस्थान ने बताया (अगस्त 2016) कि अनुमान काफी पहले तैयार किए गए थे और अनुमान तैयार करने तथा कार्य सौंपने के बीच विभिन्न कार्यकलाप हुए हैं।

संस्थान का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि देरी मुख्यतया निविदा आमंत्रण प्रक्रिया के समापन के कारण थी और निविदा दस्तावेज अनुमानित लागत में वृद्धि के अनुमोदन हेतु संस्थान को भेजे नहीं गए थे।

13.5.2.2 लेखापरीक्षा ने पाया कि सीपीडब्ल्यूडी ने संस्थान की पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना आठ कार्यों में ₹239.02 लाख मूल्य की 237 अतिरिक्त मदों और ₹154.71 लाख मूल्य की 32 स्थानापन्न मदों का निर्माण किया ।

सीपीडब्ल्यूडी ने बताया (सितम्बर 2016) कि अतिरिक्त मदों/स्थानापन्न मदों पर चर्चा की गई थी और निर्माण स्थल पर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई थी और बाद में सक्षम अधिकारी का अनुमोदन अभिलेख पर लिया गया था।

सीपीडब्ल्यूडी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अतिरिकत मदों/स्थानापन्न मदों का निर्माण/अनुमोदन केवल सीपीडब्ल्यूडी अधिकारी से लिया गया था और अतिरिक्त/स्थानापन्न मदों के लिए संस्थान की सहमति नहीं ली गई थी।

13.5.2.3 सीपीडब्ल्यूडी नियमपुस्तक का पैरा 14.1 बताता है कि ₹50,000 से अधिक लागत के अत्यावश्यक प्रकृति का कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद कार्य आदेशों पर दिया गया।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि संस्थान ने 2011-12 से 2015-16 तक के दौरान दो फर्मों[16] को कार्य आदेश देने से ₹ 31.43 लाख राशि के सात लघु कार्य, निविदा आमंत्रण बिना यद्यपि ये अत्यावश्यक प्रकृति के नहीं थे निष्पादित किए गए।

उत्तर में, संस्थान ने बताया (दिसम्बर 2016) कि निदेशक ने लघु कार्यों के निष्पादन हेतु उचित अनुमोदन दिया है। संस्थान का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपर्युक्त कार्य अत्यावश्यक प्रकृति के नहीं थे और केवल अत्यावश्यक प्रकृति कार्य आदेशों पर किए जा सकते थे।

[16] मै. श्री ग्लास प्लाईवुड इलाहाबाद, मै. कोहली एन्टरप्राइजेज

13.5.3 ₹ 39.81 करोड़ का व्यय करने के बाद भी अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त न करना

माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने आरजीआईआईटी अमेठी में संस्थान का विस्तार कैम्पस स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया (अप्रैल 2005)। सीपीडब्ल्यूडी ने आरम्भ तथा समापन की क्रमश: अगस्त 2011 तथा अगस्त 2013 होने पर ₹39.78 करोड़[17] से आरजीआईआईटी अमेठी में अकादमिक तथा प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु मै. एएनएस कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड के साथ एक अनुबन्ध किया (अगस्त 2011)। समापन तारीख दिसम्बर 2013 तक बढ़ाई गई थी।

मई 2011 से दिसम्बर 2014 तक के बीच निर्माण के दौरान संस्थान ने निक्षेप कार्य के रूप में सीपीडब्ल्यूडी को ₹39.81 करोड़ (सिविल कार्यों के लिए ₹33.91 करोड़ और विद्युत मंण्डल के लिए ₹5.90 करोड़) का भुगतान किया।

यह पाया गया कि ठेकेदार ने समापन (दिसम्बर 2013) की निर्धारित तारीख के प्रति केवल 62 प्रतिशत कार्य पूरा किया था (मार्च 2014) और निधियों की अनुपलब्धता के कारण कार्य रोक दिया गया।

- मार्च 2014 तक मै. एएनएस कन्स्ट्रक्शन को ₹26.18 करोड़ की राशि का तथा अन्य दलों को सिविल निर्माण कार्यों हेतु भुगतान किया गया था।
- मै. एएनएस कन्स्ट्रकशन को ₹2.41 करोड़ की राशि अदा की थी तथा अन्य दलों को कार्य की समाप्ति के पश्चात भुगतान किया गया था।
- इसके अलावा यद्यपि मार्च 2014 में कार्य बन्द हो गया था परन्तु सीपीडब्ल्यूडी के विद्युत मण्डल ने आरजीआईआईटी अमेठी को अविरल विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए 33 केवीए स्वतन्त्र फीडर के निमार्ण हेतु यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) गौरीगंज अमेठी को ₹3.42 करोड़ का भुगतान (05.02.2015) किया। संस्थान ने यूपीपीसीएल से प्रतिदाय लेने के लिए सीपीडब्ल्यूडी से अनुरोध किया परन्तु यूपीपीसीएल ने आज तक राशि वापस नहीं की थी।

[17] सिविल कार्य ₹ 37.49 करोड़ और विद्युतीय कार्य ₹ 2.29 करोड़

- इसके अलावा सीपीडब्ल्यूडी के विद्युत मण्डल ने भी ₹ 6.57 करोड़ की निविदागत लागत से प्रशासनिक एवं अकादमिक भवन के लिए आरजीआईआईटी अमेठी में हीट वेन्टीलेटेड एयरकण्डीशन (एचवीएसी) प्रणाली का आपूर्ति, प्रतिष्ठापन, परीक्षण तथा चालू करने के लिए मै. वोल्टास लिमिटेड, नई दिल्ली (ठेकेदार) के साथ एक अनुबन्ध किया (मार्च 2013)। निक्षेप कार्य के रूप में सीपीडब्ल्यूडी को ₹5.90 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। ठेकेदार ने सभी मशीनरी तथा उपकरणों की आपूर्ति कर दी (अक्तूबर 2013, दिसम्बर 2013, मार्च 2014 तथा मार्च 2015) और ठेके की शर्तों तथा निबन्धनों के अनुसार ठेकेदार को ₹4.01 करोड़ का भुगतान किया गया था।

इस प्रकार निक्षेप कार्य के रूप में सीपीडब्ल्यूडी को ₹39.81 करोड़ (सिविल कार्य के लिए ₹33.91 करोड़ और विद्युत मण्डल के लिए ₹5.90 करोड़) का भुगतान किया गया था। जिसमें से ₹36.02 करोड़ (सिविल कार्यों के लिए ₹32.01 करोड़ और एचवीएसी के लिए ₹4.01 करोड़) का ठेकेदारों को भुगतान किया गया था और ₹3.79 करोड़ की शेष राशि सीपीडब्ल्यूडी के पास लम्बित है।

आगे यह पाया गया था कि कार्यों की पूर्वाबंधी पर भवन निर्माण कार्य समिति (बीडब्ल्यूसी) की 28वीं, 29वीं तथा 30वीं बैठक में क्रमश: जुलाई 2014, अक्तूबर 2014 तथा अप्रैल 2015 में चर्चा की गई थी और 31वीं बीडब्ल्यूसी बैठक में स्वीकार किया गया था (अक्तूबर 2015) परन्तु संस्थान के प्रबन्धन बोर्ड (बीओएम) ने बन्द न करने का निर्णय लिया (नवम्बर 2015) और अतिरिक्त अनुदान जारी करने के लिए एमएचआरडी से सम्पर्क किया।

उत्तर में, संस्थान ने बताया (दिसम्बर 2016) कि वर्तमान आरजीआईआईटी भवन बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा अकादमिक उद्देश्य उन्नत करने के लिए उपयोग किया जाना है।

संस्थान का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य को 62 प्रतिशत समापन के पश्चात रोक दिया गया था तथा ₹39.81 करोड़ (₹3.79 करोड़ सीपीडब्ल्यूडी के

पास लंबित थे) का व्यय किया गया था इसलिए आरजीआईआईटी, अमेठी के परिसर का विस्तार करने का उद्देश्य निष्फल रहा।

मामला दिसम्बर 2016 में मंत्रालय को सूचित किया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की

13.6 निष्क्रिय व्यय

एनएच-58 के पार सीवर लाइन और रूड़की तथा सहारनपुर परिसरों में एसटीपी का निर्माण करने के लिए आईआईटी रूड़की की ओर से विफलता के परिणामस्वरूप सीवर लाइन के निर्माण पर किया गया ₹15.06 करोड़ का व्यय निष्क्रिय हो गया जिसे समापन की निर्धारित तारीख से चार वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद भी उपयोग नहीं किया जा सका था।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की (संस्थान) के परिसर में सीवरेज प्रणाली तथा सीवरेज संसाधन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से गवर्नर मण्डल (बीओजी) ने अपनी 27वीं बैठक में ₹23.23 करोड़ तथा ₹4.83 करोड़ की लागत पर क्रमश: रूड़की तथा सहारनपुर परिसरों के लिए एसटीपी तथा संसाधित बहि:स्राव के पुनर्चक्रण सहित सीवरेज प्रणाली के निर्माण करने का अनुमोदन किया (मार्च 2010)। निर्माण कार्य में एसटीपी तथा माने गए बहि:स्त्राव के पुनर्चक्रण सहित सीवरेज प्रणाली का डालना शामिल था। तदनुसार कार्य के आरम्भ की तारीख से समापन समय 15 माह होने के साथ संस्थान तथा एनबीसीसी[18] के बीच रूड़की तथा सहारनपुर परिसरों के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर किया गया था (सितम्बर 2010)। संस्थान ने कार्य के निर्माण हेतु एनबीसीसी को रूड़की परिसर के लिए ₹5.80 करोड़ तथा सहारनपुर परिसर के लिए ₹1.20 करोड़ का अग्रिम प्रदान किया गया जिसे अंतिम बिल में समायोजित किया जाना था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला (सितम्बर 2015) कि सीवर लाइन बिछाने का कार्य आरम्भ हुआ था (जनवरी 2011) और भवनों से सीवर लाइन जोड़ने राष्ट्रीय राजमार्ग के पार सीवर लाइन बिछाने तथा रूड़की परिसर के लिए

[18] राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड

एसटीपी के निर्माण को छोड़कर पूर्ण हो गया था (मार्च 2012)। सहारनपुर परिसर में एसटीपी का केवल 60 प्रतिशत पूर्ण हुआ था। संस्थान ने मार्च 2012 तक कार्यस्थल पर निष्पादित कार्य के प्रति एनबीसीसी को ₹15.06 करोड़ (रूड़की परिसर के लिए ₹12.05 करोड़ और सहारनपुर परिसर के लिए ₹3.01 करोड़) का भुगतान किया। रूड़की परिसर में एसटीवी का कार्य स्थानीय ग्रामीणों[19] द्वारा आन्दोलन के कारण रोक दिया गया था (सितम्बर 2012)। साथ ही रूड़की परिसर में देखी गई समान समस्या का पूर्वानुमान कर सहानपुर में भी कार्य निलम्बित किया गया था।

इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 58 को पार कर संस्थान भवन से एसटीपी स्थल[20] तक सीवर लाइन बिछानी जानी थी। एनएच-58 पार करने के लिए कार्य आरम्भ करने से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण (एनएचएआई), देहरादून से एनओसी प्राप्त की जानी अपेक्षित थी परन्तु उसे अभी प्राप्त नहीं किया था और उस रूप में एनएच-58 के पार सीवर लाइन का निर्माण नहीं किया जा सका।

अत: सीवर लाइनों पर ₹15.06 करोड़ (रूड़की परिसर के लिए ₹ 12.05 करोड़ और सहारनपुर परिसर के लिए ₹3.01 करोड़) का व्यय निष्फल और समापन की निर्धारित तारीख से चार वर्ष बीत जाने के बाद भी उपयोग नहीं किया जा सका।

संस्थान ने उत्तर दिया (जून 2016) कि उन्होंने कुछ गंधहीन प्रौद्योगिकी से आईआईटी, रूड़की के परिसरों के अन्दर नए संस्थान पर एसटीपी के निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ की गई है जिसके लिए सलाहकार पहले ही नियुक्त किया जा चुका है और कार्य प्रगति पर है। संस्थान ने आगे बताया कि इस परियोजना पर किया गया व्यय निष्फल नहीं है क्योंकि कुछ छोटे कार्यों जैसे भवनों को कनेक्शन और राजमार्ग की सड़क पार करने को छोड़कर उन्होंने पूर्ण सीवरेज प्रणाली पहले ही डाल दी थी। एनएचएआई से अनुमोदन एनबीसीसी द्वारा जारी रखा जा रहा है।

---

[19] चांदमारी खंजरपुर गांव

[20] चांदमारी खंजरपुर गांव

संस्थान का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संस्थान के सलाहकार ने आज तक (नवम्बर 2016) नए एसटीपी स्थान की कोई व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी और एनएचएआई से एनओसी अभी भी प्राप्त की जानी है।

मामला अगस्त 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

13.7 सेवाकर का अनियमित भुगतान

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन चार संस्थान (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, रुड़की; बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, भारतीय प्रबन्धन संस्थान, रांची तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना) और सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एक संस्थान (भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता) ने बाहर से ली गई सेवाओं पर कुल ₹12.42 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया जबकि ये सेवाएं ऐसे कर के भुगतान से मुक्त थीं।

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार ने 1 जुलाई 2012 से शिक्षण संस्थानों को अथवा द्वारा दी गई कुछ सेवाओं को सेवा कर से मुक्त किया (अधिसूचना सं. 25/2012-सेवाकर दिनांक 20 जून 2012)। अधिसूचना ने स्पष्ट किया कि मुक्त सेवाओं में अन्य बातों से साथ ऐसी सेवाएं शामिल हैं जो शिक्षण संस्थानों द्वारा सामान्य तथा स्वयं की जाती हैं परन्तु किसी अन्य व्यक्ति से आउटसोर्स सेवाओं के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया कि ऋणात्मक सूची में प्रवेश के बल पर यह स्पष्ट था कि शिक्षा से संबंधित सभी सेवाएं सेवा कर से मुक्त हैं (परिपत्र सं. 172/7/2013-एसटी दिनांक 19 सितम्बर 2013)। इन सेवाओं में हॉस्टल, गृह व्यवस्था, सुरक्षा सेवाएं, कैन्टीन आदि भी शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच संस्थानों में सुरक्षा, निर्माण, गृह व्यवस्था तथा खानपान व्यवस्था आदि जैसी सेवाएं करने के प्रति ठेकेदारों द्वारा दी गई सेवाएं सेवाकर के भुगतान से मुक्त थीं परन्तु सेवाकर के रूप में ₹12.42 करोड़ का भुगतान किया गया, ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

संस्थान का नाम	आउटसोर्स एजेंसी का नाम	आउटसोर्स सेवा	भुगतान की अवधि	भुगतान की गई सेवाकर की राशि (₹ लाख में)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी)				
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), रुड़की	बेदी एण्ड बेदी एसोसिएट्स	आतिथ्य, खानपान एवं प्रबन्धन सेवाएं	जुलाई 12-फरवरी 16	5.00
	सिबेक्स कम्प्यूटर सिस्टम्स (प्रा.) लिमि.	गृह व्यवस्था सेवाएं	2012 - 2016	81.93
	पेरेग्रीन गार्डिंग प्राई. लिमि.	सुरक्षा सेवाएं	जून 14-अगस्त 15	46.19
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू), लखनऊ	श्री साई नाथ एसोसिएट्स	लैब सहायक, रसोइया, सैनीटेशन, गृह व्यवस्था सेवाएं	दिस. 12 - मार्च 16	132.70
	सिटी हाक्स मैनपावर सर्विसेस एण्ड कनसलटेंसी	सुरक्षा सेवाएं	सित. 13 - दिस. 14	18.06
	सिक्यूरिटी साल्यूशन सर्विसेज	सुरक्षा सेवाएं	दिस. 14-अप्रै. 15	8.71
भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), रांची	रांची सिक्योरिटी प्रा.लि.	सुरक्षा सेवाएं	जुलाई 12 - दिस. 15	26.05
	अरीबा हाउसकीपिंग एजेंसी	हाउसकीपिंग सेवाएं	जुलाई 12 - दिस.15	13.62
	सीएमसी लिमि.	सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना का प्रबन्धन एवं सेवाएं	सित. 12 - अग. 15	16.63
भारतीय प्रौद्यागिकी संस्थान, पटना	शापूर्जी पालोर्जी एंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड (एसपीसीएल)	निर्माण सेवाएं	2013-14 से 2014-15	780.00
	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी)			56.00
सांख्यिकीय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमएसपीआई)				
भारतीय सांख्यिकीय संस्थान	इण्डियन एक्स सर्विसेज लीग	सुरक्षा सेवाएं	जुला. 12 - जन. 15	25.22

(आईएसआई), कोलकाता			(अप्रै. 13 को छोड़कर)	
	एसएण्डआईबी सर्विसेज	सुरक्षा सेवाएं	अप्रै. 13	0.54
	एनआईएस मैनेजमेंट प्राई. लिमि.	गृह व्यवस्था सेवाएं	जुला. 12 - जन. 15	31.25
			कुल अनियमित भुगतान	**1241.90**

आईआईटी रुड़की ने उत्तर दिया (अप्रैल 2016) कि बेदी एण्ड बेदी एसोसिएट्स तथा सिबेक्स कम्प्यूटर सिस्टम्स (पी.) लिमि. द्वारा दी गई सेवाएं ऊपर कथित अधिसूचना के अन्तर्गत मुक्त नहीं हैं। पेरेग्रिन गार्डिंग प्राई. लिमि. को सेवाकर का भुगतान अगस्त 2015 से बन्द कर दिया गया है। बीबीएयू ने उत्तर दिया (मई 2016) कि सेवाकर भुगतान श्री साई नाथ एसोसिएट को किया जा रहा था क्योंकि फर्म जनशक्ति सेवाएं प्रदान कर रही थी और पैनीटेशन एवं सुरक्षा से सम्बन्धित सेवा प्रदाताओं के बिलों पर सेवाकर का भुगतान बन्द कर दिया गया था।

आईआईएम रांची ने उत्तर दिया (जून/अगस्त 2016) कि सेवाकर का भुगतान जनवरी 2016 से बन्द कर दिया गया था और यह भी बताया कि उन्होंने पहले ही प्रदत्त सेवाकर के प्रतिदाय हेतु दावा प्रस्तुत कर दिया है। आईआईटी पटना ने बताया (अगस्त 2016) कि माननीय उच्च न्यायलय (सीडब्ल्यूजेसी सं.16965 दिनांक 03 मार्च 2016 में) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का समर्थन किया है तथा सेवा कर आयुक्त को सबंधित कर दाता को सेवा कर की वापसी का निर्देश दिया है। तदनुसार, आईआईटी पटना ने सेवा प्रदाताओं को सेवाकर की वापसी हेतु कहा है।

आईएसआई कोलकाता ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2016/जनवरी 2017) कि उन्होने फरवरी 2015 से सेवाकर का भुगतान बन्द कर दिया था और सेवाकर विभाग को प्रतिदाय दावा दायर कर दिया है (जनवरी 2016)। एमएसपीआई ने आईएसआई, कोलकाता के विचारों की पुष्टि की (नवम्बर 2016)।

आईआईटी रुड़की तथा बीबीएयू के उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तीन ठेकेदारों द्वारा दी गई सेवाएं "सहायक शैक्षिक सेवाओं" के अन्तर्गत आती हैं और ऐसी सेवाएं बनती हैं जिन्हें अन्यथा शैक्षिक संस्थाएं सामान्यतया स्वयं करती हैं।

मामला जून-अगस्त 2016 में एमएचआईडी को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2007 तक प्रतीक्षित था।

भारतीय प्रबन्धन संस्थान, कोझीकोड

13.8 पेंशन लाभों का अनियमित भुगतान

भारत सरकार के अनुमोदन बिना कर्मचारियों को जीपीएफ एवं पेंशन विस्तारक के परिणामस्वरूप उचित संस्वीकृति बिना पेंशनरी लाभों के लिए किया जा रहा ₹61.20 लाख का व्यय

भारतीय प्रबन्धन संस्थान, कोझीकोड[21] (आईआईएमके) के कर्मचारी आईआईएमके कर्मचारी अंशदान भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित किए जाते हैं। 24 अक्तूबर 2000 को यह सूचित करते हुए आईआईएमके द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया था कि संस्थान के शासक बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए जीपीएफ-सह-पेंशन योजना लागू करने के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन किया था और मामला अनुमोदन हेतु भारत सरकार को भेजा गया है। परिपत्र में यह भी बताया गया कि एमएचआरडी उन कर्मचारियों के संबंध में योजना लागू करने को सहमत हो गया है जो संस्थान जॉइन करने से पूर्व ऐसे संगठन में कार्य कर रहे थे जहां यह योजना चालू थी और उसे अपनाया था।

चूँकि आईआईएम प्रारंभ से ही अंशदायी भविष्य निधि योजना को अपना रहा था, इसलिए बीओजी द्वारा इन कर्मचारियों को साभनि-सहपेंशन योजना में लाना दिनांक 16 मार्च 2000 के व्यय विभाग (डीओई) के पत्र, जिसमें यह बताया गया है कि पेंशन योजना इस डीओई के अनुमोदन को व्यक्त किए बिना स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं की जाएगी, का उल्लंघन थी।

[21] आईआईएम के 1 जुलाई 1997 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन उच्च शिक्षा का संस्थान है।

नौ कर्मचारियो, जिन्होंने विभिन्न पेंशन वाले संगठनों से त्यागपत्र देने के बाद आईआईएमके जॉइन किया था, ने जीपीएफ-सह-पेंशन योजना के लिए आवेदन किया। कर्मचारियों के अनुरोधों के आधार पर उनके पेंशनरी लाभ भी उनके पूर्व नियोक्ताओं से आईआईएमके[22] को हस्ताक्षरित किए गए थे। इन नौ कर्मचारियों में से दो सेवा[23] से सेवानिवृत्त हो गए हैं और आईआईएमके को जीपीएफ योजना लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय/कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा अनुमोदन से संबंधित एचआरडी मंत्रालय से किसी अन्तिम सूचना बिना ₹83.63 लाख के कुल पेंशनरी लाभ अदा[24] किए गए थे।

इसके अलावा एमओएफ ओएम दिनांक 8 सितम्बर 1983 के अनुसार, 10 वर्ष अथवा अधिक की अर्हक सेवा के साथ पेंशन योजनाओं द्वारा शासित किसी स्वायत्त निकाय के स्थाई कर्मचारी अन्य संगठन में विलयन पर यथानुपात पेंशन के हकदार हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि यथानुपात पेंशन का यह नियम लागू करने पर भी ₹61.20 लाख (पूर्व नियोक्ताओं से प्राप्त ₹22.43 लाख समायोजित करने के बाद) की राशि के प्रदत्त शेष पेंशनरी लाभ उचित संस्वीकृति बिना थे।

इसे बताए जाने पर[25] आईआईएमके ने उत्तर दिया (मार्च/जून तथा अक्तूबर 2016) कि संस्थान की कार्रवाई एमएचआरडी के पत्र दिनांक 12 जुलाई 2000 पर आधारित थी जिसने शर्त लगाई कि पेंशनरी लाभों का उपयोग करने वाले संस्थानों से संकाय तथा स्टाफ नए आईआईएम में उसे सुरक्षित रखने को अनुमत होंगे। तथापि, जून 2016 में एचआरडी मंत्रालय को एक संदर्भ किया गया था और उत्तर प्रतीक्षित था।

वित्त मंत्रालय/कार्मिक, लोक शिकायत एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के अनुमोदन बिना पेंशन लाभों का विस्तार अनियमित था। इसके अलावा एमएचआरडी पत्र दिनांक 12 जुलाई 2000 कहता है कि इस संबंध में अतिरिक्त सचिव (पेंशन) के साथ बैठक का मामले पर अन्तिम निर्णय करने के लिए प्रबन्ध किया जा रहा है।

---

[22] जून 2001 तथा मार्च 2008 के बीच

[23] फरवरी 2004 तथा मई 2012

[24] 2015-16 तक

[25] अक्तूबर 2015/मई 2016

मामला मंत्रालय को जुलाई 2016 में सूचित किया गया था, उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

13.9 निष्फल व्यय

इलाहाबाद विकास प्रधिकरण से पूर्व अनुमोदन बिना तथा प्रतिबन्धित क्षेत्र में बेली फार्म में निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था जो माननीय उच्च न्यायालय निर्देश का उल्लंघन था परिणामस्वरूप ₹4.99 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय (अप्रैल 2011)[26] के द्वारा निर्देश दिया कि इलाहाबाद शहर में गंगा नदीं तथा यमुना नदी, गंगानदी के निकटवर्ती भाग (संगम) के उच्चतम बाढ़ स्तर (एचएफएल) से 500 मीटर के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण (एडीए) तथा जिला प्रशासन को कथित क्षेत्र में कोई निर्माण न किए जाने को सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया था।

सीपीडब्ल्यूडी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय (एयू) में संकाय क्वार्टरों[27] के निर्माण का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (अगस्त 2011)। एयू की भवन तथा निर्माण कार्य समिति ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए संकाय क्वार्टरों के निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया (नवम्बर 2011)। लेखापरीक्षा ने पाया कि विश्वविद्यालय ने एडीए से निर्माण का अनुमोदन नहीं लिया था। एयू ने प्रशासनिक अनुमोदन कर दिया (जून 2012) और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा यथा प्रस्तुत (फरवरी 2012) ₹843.40 लाख की अनुमानित लागत के प्रति ₹833.47 लाख का व्यय संस्वीकृत कर दिया। सीपीडब्ल्यूडी ने 22 जून 2014 को समापन की निर्धारित तारीख के साथ

[26] पीआईएल सं. 4003/2006 में, गंगा प्रदूषण बनाम यूपी राज्य तथा अन्य

[27] बेली फार्म, इलाहबाद के ऊपरी भाग (प्लाट सं. 85, ग्राम बेली अपरहिर, तहसील सदर, जिला इलाहबाद) में (टाईप IV-16 सं., टाईप V-8 सं. तथा टाईप VI-6 सं.)

उपर्युक्त कार्य आरम्भ कर दिया (मार्च 2013)। एयू ने उपर्युक्त कार्य के लिए सीपीडब्ल्यूडी को ₹427.50 लाख[28] (सितम्बर 2014) प्रदान कर दिए।

संयुक्त सचिव, एडीए ने सूचित किया (जनवरी 2014) कि एयू द्वारा किया गया निर्माण कार्य एचएफएल के 500 मीटर के अन्दर आता है जहाँ निर्माण कार्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किए गए हैं एडीए ने तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य बन्द करने के लिए विश्वविद्लायल को कारण बताओ नोटिस जारी किया (फरवरी 2014)। विश्वविद्यालय ने नोटिस का पालन किया और कार्य[29] बन्द करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी को कहा (फरवरी 2014)। सीपीडब्ल्यूडी ने ₹499.09 लाख[30] (फरवरी 2014 तक) का व्यय करने के बाद कार्य बन्द कर दिया जिसके प्रति एयू ने ₹427.50 लाख का भुगतान किया।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि विश्वविद्यालय के प्रमुख निर्माण कार्य विभिन्न सांविधिक समितियों के संकल्प के अनुसार किए गए हैं। विश्वविद्यालय अपनी निर्माण परियोजनाओं में एडीए के मार्गनिर्देशों का पालन करता है और एडीए ने समितियों के संकल्प पर कभी आपत्ति नहीं की है।

विश्वविद्यालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय को निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व एडीए से अपेक्षित अनुमति लेनी चाहिए थी। इसलिए विश्वविद्यालय ने एडीए के अनुमोदन बिना बेली फार्म में निर्माण कार्य का परिणाम ₹4.99 करोड़ के निष्फल व्यय में हुआ।

मामला जून 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

---

[28] अप्रैल 2013 में जारी ₹277.50 लाख तथा सित्म्बर 2014 में ₹150.00 लाख

[29] लगभग 60 प्रतिशत कार्य (ढांचा कार्य) समाप्त था

[30] सीपीडब्ल्यूडी-65 (अगस्त 2016) के अनुसार

सरदार बल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत

13.10 वेतन के गलत निर्धारण के कारण अधिक भुगतान

अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी किए बिना अकादमिक ग्रेड पे ₹9,000 के साथ पीबी-4 में उन्हें रखने के कारण सहायक प्रोफेसरों के संबंध मे वेतन के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹2.69 करोड़ तक वेतन का अधिक भुगतान हुआ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), जीओआई ने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार कर्मचारियों के वेतन संशोधन का अनुपालन कर केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं (सीएफटीआई) में शिक्षण तथा अन्य स्टाफ के वेतन के संशोधन हेतु निर्देश जारी किए (अगस्त 2009)। निर्देशों के अनुसार, सीएफटीआई की वेतन संरचना एमएचआरडी के पत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2008 के अनुसार सामान्यतया वही होगी जैसी विश्वविद्यालयों के अध्यापक को दी गई है। उन्होने आगे बताया कि सभी पदोन्नतियां निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर और एमएचआरडी पत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2008 द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन होंगी। वेतनमानों का संशोधन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों तथा योजना के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन था। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अध्यापकों तथा अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए निम्नतम अर्हताओं पर विनियम और उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय, 2010 (विनियम) दिनांक 30 जून 2010 जारी किए।

विनियमों के अनुसार पदधारी रीडर तथा लेक्चरर (सलेक्शन ग्रेड), जिन्होंने 1 जनवरी 2006 को ₹12,000, ₹18,300 (पूर्व संशोधित) के चालू वेतनमान में तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं, अकादमिक ग्रेड पे (एजीपी) ₹9,000 के साथ पे बैण्ड-4 ₹37,400- ₹67,000 में रखे जाएंगे और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पुनः पदनामित किए जाएंगे। पदधारी रीडर तथा लेक्चरर (सलेक्शन ग्रेड) जिन्होंने 1 जनवरी 2006 को अथवा के बाद ₹12,000- ₹18,300 के चालू वेतनमान में तीन वर्ष पूरे कर लिए थे उस ग्रेड में उनके सेवा के तीन वर्ष पूरे करने तक एजीपी ₹8,000 के साथ पीबी-3 ₹15,600-₹39,100 में उचित चरण पर रखे

जाएंगे और उसके बाद ₹9,000 एजीपी के साथ उच्च ₹37,400-₹67,000 के उच्च पीबी-4 में रखे जाएंगे और तदनुसार एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पुनः पदनामित किए जाएंगे। इसी प्रकार ₹8,000 के एजीपी में शिक्षण के तीन वर्ष पूरे करने वाले सहायक प्रोफेसर इन विनियमों द्वारा निर्धारित अर्हक शर्तों के अध्यधीन ₹37,400-₹67,000 + एजीपी ₹9,000 के पीबी-4 में जाने और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नामित किए जाने के पात्र होंगे।

एमएचआरडी ने भी स्पष्ट किया (अगस्त 2010) कि विनियम जारी करने तक जनवरी 2006 को अथवा उसके बाद नियुक्त रीडरों का प्रवेश वेतन ₹8,000 के एजीपी के साथ पीबी-3 में ₹23,890 निर्धारित किया जाय। यह उपर्युक्त अवधि के दौरान पदोन्नत लेक्चरर (सलेक्शन ग्रेड) को भी लागू होगा। ऐसे रीडर/लेक्चरर (सलेक्शन ग्रेड) तीन वर्षों के बाद ₹9,000 के एजीपी के साथ पीबी-4 के निम्नतम को जाएंगे।

सरदार बल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत (एसबीएनआईटी, सूरत) की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि जनवरी 2006 तथा जून 2010 के बीच एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत/नियुक्त 20 संकायों के संबंध में वेतन एमएचआरडी निर्देशों तथा यूजीसी विनियम 2010 के उल्लंघन में ₹8,000 के एजीपी में अध्यापन के 3 वर्ष पूरे करने से पूर्व ₹9,000 के एजीपी के साथ पीबी-4 ₹37,400-₹67,000 में निर्धारित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2006 से जून 2016 तक की अवधियों के बीच ₹2.69 करोड़ तक डीए तथा एचआरए सहित एजीपी के साथ मूल वेतन का अधिक भुगतान हुआ।

एसवीएनआईटी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की (जून 2015)। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एसवीएनआईटी, सूरत के शासक बोर्ड (बीओजी) के समक्ष रखी गई थी और बीओजी ने इन संकायों के सम्पूर्ण वेतन निर्धारण की समीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त की (अक्तूबर 2015)। समिति ने अपनी रिपोर्ट (जुलाई 2016) में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार करती हैं और कर्मचारियों के कष्ट का परिहार करने के लिए चरणबद्ध रीति में अधिक भुगतान की वसूली की सिफारिश की। समिति ने आगे पाया कि वर्तमान स्थिति कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में अपर्याप्त नियंत्रण तथा सन्तुलन के कारण पैदा हुई और सन्तुलित प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश की क्योंकि ऐसे

वेतन निर्धारित करने की कवायद 7वें सीपीसी के प्रस्तावित सिफारिशों के कारण निकट भविष्य में उत्पन्न होगी। बाद में, एसवीएनआईटी ने बताया (अगस्त 2016) कि समिति की रिपोर्ट आगामी बैठक में बीओजी को प्रस्तुत की जाएगी।

मामला अक्तूबर 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; इनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

गुजरात विद्यापीठ

13.11 मानव संसाधन प्रबंधन

अध्यापन तथा गैर-अध्यापन स्टाफ के लिए जीओआई प्रतिमानों के अनुसार पद आधारित रोस्टर बनाए नहीं जा रहे थे। अध्यापन तथा गैर-अध्यापन पद में नियुक्तियां यूजीसी/जीओआई निर्देशों के उल्लंघन में की गई थीं परिणामस्वरूप ₹2.29 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

गुजरात विद्यापीठ (जीवीपी) की स्थापना 18 अक्तूबर, 1920 को महात्मा गांधी द्वारा की गई थी और 16 जुलाई, 1963 को यूजीसी अधिनियम के अधीन माने गए विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त किया। जीवीपी बाम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 के अधीन पंजीकृत एक पब्लिक ट्रस्ट है। उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार विद्यापीठ के दैनिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं।

जीवीपी की लेखापरीक्षा जीवीपी में कार्यरत अध्यापन तथा गैर-अध्यापन स्टाफ की नियुक्ति, पदोन्नति, वेतन निर्धारण से संबंधित नियमों तथा विनियमों के अनुपालन की सीमा अभिनिश्चित करने के लिए अप्रैल 2009 से मार्च 2016 की अवधि के लिए जनवरी-फरवरी 2015 तथा जून 2016 के दौरान की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष अगस्त 2015 में जीवीपी को तथा फरवरी 2016 में मंत्रालय को सूचित किए गए थे। जीवीपी के उत्तर (सितम्बर 2015, अप्रैल 2016 तथा जून 2016) पैरा में उचित प्रकार शामिल किए गए हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुवर्ती पैराग्राफों में दिए गए हैं।

13.11.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

13.11.2.1 आरक्षण के प्रतिमानों का पालन न करना

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने पद आधारित आरक्षण (पीबीआर) रोस्टर के कार्यान्वयन हेतु निर्देश जारी किए (जुलाई 1997)। इसके अलावा, यूजीसी में अध्यापन तथा गैर-अध्यापन पदों के लिए जीओआई की आरक्षण नीति का पालन करने के लिए और जीओआई की सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एससी/एसटी/ओबीसी/शारीरिक रूप से विकलांग (पीएच) की पिछली रिक्तियों को भरने के लिए भी जीवीपी को समय पर निर्देश जारी किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जीओआई तथा यूजीसी के निर्देशों के बावजूद, जीवीपी के अध्यापन तथा गैर अध्यापन स्टाफ के लिए 2009-2016 के दौरान पीबीआर रोस्टर तैयार नहीं किया था और उसके अनुसार पदों को भरा नहीं था परिणामस्वरूप अध्यापन स्टाफ में एससी, एसटी तथा ओबीसी का कम प्रतिनिधित्व हुआ। 2009-16 के दौरान, प्रोफेसर के अध्यापन पद पर एससी तथा एसटी श्रेणी का प्रतिनिधित्व शून्य था और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर एसटी श्रेणी का प्रतिनिधित्व शून्य था। जीवीपी आरक्षित श्रेणी के लिए उद्दिष्ट रिक्त अध्यापन पदों को भरा नहीं था।

जीवीपी ने बताया (जनवरी 2016) कि पीबीआर रोस्टर बनाए गए हैं और रिक्त पदों के भरने के लिए सतत प्रयास किए गए हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह दर्शाने कि रिक्त आरक्षित पद भरने के लिए भर्तियों, यदि कोई हो, के लिए विशेष अभियान चलाया गया, के लिए लिखित में कोई अभिलेख नहीं पाए गए थे।

13.11.3 नियुक्तियों और विभिन्न पदों के वेतनमानों के आहरण में अनियमितताएं

13.11.3.1 लेखापरीक्षा को भेजी गई सूचना तथा अभिलेखों और अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर यह देखा गया था कि विभिन्न पदों के लिए की

गई कुछ नियुक्तियों और दिए गए वेतनमान यूजीसी विनियमों तथा जीओआई प्रतिमानों के अनुसार नहीं थे।

क्र. सं.	पद का नाम	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	प्रबन्धन का उत्तर
1.	पुस्तकालय सहायक	जीवीपी ने सीधी भर्ती के माध्यम से पुस्तकालय सहायकों की चार नियुक्तियां की थीं (फरवरी 2011-जून 2012) और नियुक्ति की तारीख को इन नियुक्त कर्मचारियों की आयु भर्ती नियमों के अनुसार अधिकतम निर्धारित आयु से अधिक थी।	जीवीपी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2016) कि ऐसे कर्मचारियों की आयुसीमा को माफ करने का प्रस्ताव यूजीसी को भेजा जा रहा है।
2.	रीडर (बायो गैस रिसर्च)	डॉ. प्रदीप आचार्य को 1 नवम्बर 1993 से प्रभावी बायो गैस रिसर्च में रीडर के रूप में नियुक्त किया गया था लेकिन यूजीसी नियमों के अंतर्गत आवश्यक पीएचडी उनके पास नहीं थी। उन्होंने अपनी पीएचडी 26 मई 2005 में पूरी की थी। इस प्रकार, 1 नवम्बर 1993 से प्रभावी डॉ. आचार्य की रीडर के रूप में नियुक्ति अनियमित थी।	जीवीपी ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2015) तथा मार्च 2016 तक की अवधि हेतु ₹30.61 लाख की अंतरिम विभेदक[31] राशि सूचित की (जून 2016)। अन्तिम कार्रवाई/वसूली जीवीपी द्वारा अभी की जानी थी।
3.	रीडर (आर्चीवल विज्ञान)	जीवीपी के प्रशासन में अनियमितताओं की जांच करने के लिए नियुक्ति एक सदस्यीय आयोग[32] ने देखा कि (मार्च 2006) सुश्री बिन्दुवासीनी जोशी लेक्चरर होने के भी योग्य नहीं थी परन्तु अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अध्यापन अनुभव रखे बिना रीडर (एएस) के रूप में नियुक्त की गई थी। इसलिए रीडर (आर्चीवल विज्ञान) के पद पर उसके चयन पर प्रतिकूल रूप से टिप्पणी की। रीडर के रूप में अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए यूजीसी	जीवीपी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2016) कि सुश्री बिन्दुवासीनी का मामला कार्योत्तर अनुमोदन देने के लिए यूजीसी को दोबारा भेजा गया है। अन्तिम कार्रवाई/वसूली जीवीपी द्वारा अभी की जानी थी।

[31] लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर जीवीपी द्वारा प्रस्तुत देय एवं आहरण विवरणी के आधार पर

[32] यूजीसी ने गुजरात विद्यापीठ की वित्तीय तथा प्रशासनिक अनियमितताओं की जॉच करने हेतु एक सदस्य की नियुक्ति की थी।

		शिथिलिकरण प्राप्त नहीं किया गया है।	
4.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	श्रीमती रक्षाबेन पटेल को 27 मार्च 1983 से पुस्तकालय सहायक के रूप में नियुक्त और आगे 1 अगस्त 1988 से सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर इस शर्त के अध्यधीन कि अभ्यर्थी दो वर्षों के अन्दर मास्टर्स आफ लाइब्रेरी साइंस उत्तीर्ण करेगा जो सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यता थी, पदोन्नत किया गया था। उसने 1990 में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी उत्तीर्ण किया है। इसलिए 1 अगस्त 1988 से सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में पदोन्नति अनियमित थी क्योंकि उसके पास पदोन्नति के समय अपेक्षित योग्यता नहीं थी। विज्ञापन के आधार पर, श्रीमती रक्षाबेन पटेल 24 अक्तूबर 1996 को सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/लेक्चरर (अध्यापन पद) के रूप में दोबारा भर्ती की गई थी। नियुक्ति ब्यौरे यूजीसी को भेजे गए थे (नवम्बर 1999) और आयोग ने इस आधार कि वह नेट/स्लेट से सम्बन्न नहीं थी, पर प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए अपनी असमर्थता को बताया (जनवरी 2002)। यूजीसी द्वारा प्रस्ताव की गैर-स्वीकृति पर, श्रीमती रक्षाबेन पटेल को सहायक पुस्तकाध्यक्ष के पिछले पद पर वापस लौटा दिया गया था, जिस पर उन्हें 1 अगस्त, 1988 को नियुक्त किया गया था, 13 जून 2007 के आदेश के अनुसार लियन के रूप में विचार किया गया। श्रीमती रक्षाबेन पटेल की नियुक्ति अक्टूबर 1996 में सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ व्याख्याता के रूप में की गई थी, जब वह	जीवीपी ने अभ्युक्ति स्वीकार कर ली (सितम्बर 2015) और मार्च 2016 तक की अवधि के लिए ₹59.61 लाख की अन्तरिम विभेदक राशि सूचित की (जून 2016)। अन्तिम कार्रवाई/वसूली जीवीपी द्वारा अभी की जानी थी।

		अपेक्षित योग्यता नहीं रखती थीं जो अनियमित था।	
5.	मुख्य लिपिक	श्री प्रहलाद जी परमार को ₹950-1,500 के वेतनमान में 3 जनवरी 1990 को कनिष्ठ लिपिक सह टंकण के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में चयन समिति निर्णय के आधार पर उसे ₹4,500-7,000 के निर्धारित वेतनमान के प्रतिकूल ₹5,000-8,000 के वेतनमान में 1 दिसम्बर 1997 को सांख्यिकीय सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार श्री पीजी परमार को सांख्यिकीय सहायक के पद में अनियमित रूप से उच्च वेतनमान दिया गया था। इसके अलावा जीवीपी ने उसे 3 जनवरी 1990 से अर्थात पूर्वव्यापी प्रभाव से कनिष्ट लिपिक के रूप में नियुक्ति की तारीख से मुख्य लिपिक के रूप में नियुक्त किया था (24 सितम्बर 2004)। पूर्वव्यापी प्रभाव से मुख्य लिपिक के पद पर नियुक्ति और प्रहलाद जी परमार को पदोन्नतियों तथा एमसीपी के दिए गए परिणामी लाभ अनियमित थे।	जीवीपी ने अभ्युक्ति स्वीकार कर ली (सितम्बर 2015) और मार्च 2016 तक की अवधि के लिए ₹13.25 लाख की अन्तरिम विभेदक राशि सूचित की (जून 2016)। जीवीपी द्वारा अन्तिम कार्रवाई/वसूली अभी की जानी है।
6.	कैशियर	श्री जयेश चौहान कैशियर 1 जून 2000 तथा 31 दिसम्बर 2010 की अवधि के दौरान विभिन्न वेतन आयोगों द्वारा यथा निर्धारित वेतनमानों की अपेक्षा अधिक वेतन मान आहरित कर रहा था। श्री जयेश चौहान द्वारा आहरित अनियमित उच्च वेतनमान मुख्य लिपिक के पद के बराबर माना गया था और इसलिए अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था (01 जनवरी 2011) जो अनियमित भी था।	जीवीपी ने अभ्युक्ति स्वीकार कर ली (सितम्बर 2015) और मार्च 2016 तक की अवधि तक के लिए ₹11.56 लाख की अन्तरिम विभेदक राशि सूचित की (जून 2016)। जीवीपी द्वारा अन्तिम कार्रवाई/वसूली अभी की जानी है।

7.	आन्तरिक लेखापरीक्षक	यूजीसी निर्देश (मई 1989) के अनुसार जीवीपी के गैर-अध्यापन स्टाफ का वेतनमान 01 अप्रैल 1989 से केन्द्रीय वेतन प्रतिरूप से बराबर था। श्री दिनेश भाई सी राणा निर्धारित वेतन मान की अपेक्षा उच्च वेतन मान पर 01 जुलाई 1997 से आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त थे। 01 जुलाई 1997 से 13 मार्च 2003 तक की अवधि के लिए आहरित उच्च वेतन मान जोकि आंतरिक लेखापरीक्षक पद पर नियुक्ति के दौरान था को अनियमित किया जाना अपेक्षित था।	जीवीपी ने अभ्युक्ति स्वीकार कर ली (सितम्बर 2015) और मार्च 2016 तक की अवधि के लिए ₹18.92 लाख की अन्तरिम विभेदक राशि सूचित की (जून 2016)। जीवीपी द्वारा अन्तिम कार्रवाई/वसूली अभी की जानी है।
8.	लिपिकीय सेवाएं	शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) जीओई ने जीवीपी में स्टेनोग्राफर का वेतनमान ₹380-700 निर्धारित किया (जनवरी 1978)। इसके अलावा यूजीसी निर्देश (मई 1989) के अनुसार जीवीपी के गैर अध्यापन स्टाफ 1 अप्रैल 1989 से केन्द्रीय वेतन के प्रतिरूप के बराबर लाए जाने हैं। श्री सेवन्तीभाई पांचाल, निजी सचिव, श्री शैलेश त्रिवेदी और सुश्री प्रीती शाह स्टेनोग्राफर नियुक्ति की तारीख से लेखापरीक्षा की तारीख तक निर्धारित वेतनमान की अपेक्षा उच्च वेतन मान आहरित कर रहे थे। आगे इसके परिणामस्वरूप एसीपी/एमएसीपी का गलत आहरण हुआ।	जीवीपी ने अभ्युक्ति स्वीकार कर ली (सितम्बर 2015) और मार्च 2016 तक की अवधि के लिए इन तीन कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः ₹15.72 लाख, ₹16.94 लाख और ₹11.74 लाख की अन्तरिम विभेदक राशि सूचित की (जून 2016)। अन्तिम कार्रवाई/वसूली जीवीपी द्वरा अभी की जानी है।
9.	लेक्चरर	श्रीमती शशिबाला पंजाबी 26 सितम्बर 2006 को जीवीपी में पीबी-3 ₹15600-39100 जीपी 6000 में लेक्चरर के रूप में नियुक्त की गई थी। उसने जीवीपी में नया पद ज्वाइन करने के लिए पिछले संगठन में सहायक प्रोफेसर (सलेक्शन ग्रेड) के रूप में अपना त्याग पत्र भेजा था।	जीवीपी ने अभ्युक्ति स्वीकार कर ली (सितम्बर 2015) और मार्च 2016 तक की अवधि के लिए ₹ 50.25 लाख की अन्तरिम विभेदक राशि सूचित की (जून 2016)।

		जीवीपी 26 सितम्बर 2006 से पे बैण्ड पीबी 4 ₹34700-57000 जीपी 9000 में वेतन निर्धारित कर वेतनमान तथा वेतन सुरक्षा दोनों दिए जिसे वह अपनी नियुक्ति के वेतनमान जीपी 6000 के साथ ₹15600-39100 के पीबी 3 के लेक्चरर के स्केल में वेतन निर्धारित करने के बजाय उसके पूर्व संगठन में आहरित कर रही थी। चूंकि जीवीपी में लेक्चरर के रूप में नियुक्ति के लिए उसका आवेदन उचित माध्यम से नहीं आया था इसलिए एफआर 22 बी के प्रावधानों के साथ पठित एमओएफ ओएम सं. 3379-ई.।।।(बी)/165 दिनांक 17 जून 1965 के अनुसार वेतन सुरक्षा की पात्र नहीं थी और उस स्केल में रखी जानी चाहिए थी जिसमें वह नियुक्त की गई थी अर्थात् जीपी 6000 के साथ रु 15600-39100 के पीबी-3 लेक्चरर के रूप में।	जीवीपी द्वारा अन्तिम कार्रवाई/वसूली अभी की जानी है।

13.11.4 निष्कर्ष

जीओआई प्रतिमानों के अनुसार अध्यापन तथा गैर-अध्यापन स्टाफ के लिए पद पर आधारित रोस्टर बनाए नहीं गए थे। अध्यापन तथा गैर-अध्यापन स्टाफ की नियुक्तियों में यूजीसी दिशा-निर्देशों तथा जीओआई प्रतिमानों के अन्तर्गत निर्धारित योग्यताओं, आयु मानदण्ड आदि से विचलन किए गए थे। यूजीसी दिशा-निर्देशों/विनियमों के उल्लंघन में उच्च पद पर पूर्वव्यापी चयन, उच्च वेतनमानों की अनुमति और उच्चवेतन का निर्धारण के मामले देखे गए थे।

मामला फरवरी 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखण्ड

13.12 चारदीवारी के निर्माण पर निष्फल तथा व्यर्थ व्यय

आईआईटी रूडकी की सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसने स्पष्टतया बताया कि स्थान उचित नहीं था क्योंकि क्षेत्र सीस्मिक जोन IV में आता है और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रतिबलों के निकट है, की अनदेखी कर नए स्थायी कैम्पस पर चारदीवारी के निर्माण के परिणामस्वरूप निष्क्रिय के रूप में स्टील कार्य पर ₹2.56 करोड़ और घेराबन्दी कार्य तथा एजेंसी प्रभारों के भुगतान पर ₹0.78 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

श्रीनगर (गढ़वाल) में राष्ट्रीय प्रौद्धोगिकी संस्थान, उत्तराखण्ड का स्थाई कैम्पस स्थापित करने के लिए एनआईटी कैम्पस के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थान[33] का भू तकनीकी सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय प्रौद्धोगिकी संस्थान (आईआईटी) रूडकी से एनआईटी ने अनुरोध किया (मार्च 2012)। आईआईटी रूडकी द्वारा प्रस्तुत (मई 2012) स्थान सर्वेक्षण रिपोर्ट कहती है कि प्रस्तावित क्षेत्र सीस्मिक जोन IV में आता है और भूभाग बहुमंजिला भवन निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है।

मानव विकास संसाधन मंत्रालय (एमएचआरडी) ने एक स्थान चयन समिति (समिति) गठित की (मई 2013)। समिति ने कैम्पस हेतु स्थानीय प्रशासन तथा सीपीडब्लूडी के सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से स्थान का निरीक्षण किया और पाया (जून 2013) कि प्रस्तावित भूमि उपयुक्त है और एनआईटी, उत्तराखण्ड के 'स्थाई कैम्पस' के लिए सिफारिश की। उत्तराखण्ड सरकार ने एनआईटी को चयनित स्थान की 310 एकड भूमि मुफ्त हस्तान्तरित कर दी (दिसम्बर 2013)।

एनआईटी की भवन एवं निर्माण कार्य समिति (बीडब्लूसी) ने चारदीवारी के निर्माण के लिए डिजाइन तथा ₹13.27 करोड़ मूल्य के अनुमान का अनुमोदन कर दिया (अगस्त 2013)। एनआईटी ने छः माह के निर्माण के निर्धारित समय के साथ एनबीसीसी (इंडिया) लि. (एनबीसीसी) को स्थाई कैम्पस की चारदीवारी

[33] ग्राम सुमारी जिला पौड़ी

के निर्माण का कार्य सौंप दिया (मार्च 2014)। एनआईटी ने एनबीसीसी को अग्रिम के रूप में चारदीवारी के निर्माण के लिए ₹ चार करोड़ और स्थान विकास के लिए ₹ एक करोड़ का भुगतान किया (मार्च 2014)।

एनबीसीसी ने सूचित किया (अक्तूबर 2014) कि चारदीवारी के स्ट्रैन्च सी में जिसमें वन बहुत घना और भूभाग ढालू था, चारदीवारी का नमूना तैयार किया गया है और नमूना अनुमोदित करने तथा चारदीवारी के प्रतिरूप के लिए निर्णय देने के लिए आईआईटी रूडकी को कहा। क्योंकि न तो आईआईटी रूडकी टीम ने स्थान का दौरा किया और न ही कोई निर्णय लिया इसलिए एनबीसीसी ने कार्य रोक दिया (दिसम्बर 2015)। एनबीसीसी ने ₹3.34 करोड़ (स्टील कार्य के लिए ₹2.56 करोड़, घेराबन्दी कार्य का ₹0.52 करोड़ और एजेंसी प्रभारों के रूप में ₹0.26 करोड़) पर चारदीवारी (स्ट्रैच सी को छोडकर) का कार्य पूरा किया (जनवरी 2015) जो बीडब्लूसी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

शासक बोर्ड ने अपनी बैठक (06 जनवरी 2016) में चारदीवारी की प्रगति पर चर्चा की और नए स्थान के आवंटन में एमएचआरडी से सहायता मांगने का निर्णय लिया क्योकि वर्तमान स्थान भूस्खलनों, भूकम्पों तथा बादल फटने के लिए सम्भावित था। यह पाया गया था कि एचआरडी मंत्री ने मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को सूचित किया (जून 2016) कि घेराबन्दी का एक भाग भूस्खलन के कारण ढह गया था और स्थान भूस्खलनो, भूकम्पों तथा बादल फटने से सम्भावित है और एनआईटी स्थाई कैम्पस के लिए वैकल्पिक उचित भूभाग प्रदान करने का अनुरोध किया।

इस प्रकार स्थान जो उपयुक्त नहीं था पर चारदीवारी का निर्माण करने के परिणामस्वरूप घेराबन्दी कार्य एवं एजेंसी प्रभारों पर किया गया ₹0.78 करोड़ का व्यय निष्फल और स्टील कार्य पर ₹2.56 करोड़ का व्यय निष्क्रिय हो गया।

एनआईटी ने बताया (जुलाई 2016) कि आईआईटी रूडकी की सिफारिश के अनुसार स्टील घेराबन्दी की सिफारिश की गई थी और एनबीसीसी द्वारा संस्थापित की गई थी, जिसे हटाया जा सकता है और सीढीदार करने के बाद पुन: संस्थापित किया जा सकता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनआईटी को चारदीवारी का निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व कैम्पस हेतु आवंटित भूमि की अनुपयुक्तता के बारे में पता था। यद्धपि स्टील कार्य पर ₹2.56 करोड़ का व्यय निष्क्रिय था जिसे पुन: संस्थापित किया जा सकता है परन्तु घेराबन्दी कार्य और एजेंसी प्रभारों पर ₹0.78 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

मामला अगस्त 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय

13.13 चिकित्सा भत्ता का अनियमित भुगतान

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय ने सिविल सेवा (मेडीकल अटेंडेंस) नियम 1944 और सामान्य वित्तीय नियमावली 209 (6) (IV) (क) के प्रावधानों के उल्लंघन में 2013-16 के दौरान ₹1.96 करोड़ का सम्बन्धित वर्ष की पहली जुलाई को उनके वेतन के बारहवें भाग के बराबर अपने कर्मचारियों को मासिक चिकित्सा भत्ते का भुगतान किया।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (आईजीएनटीयू) के कर्मचारियों को सीएस (एमए) नियमावली[34], 1944 द्वारा शासित[35] किया जाता है। इन नियमावली के नियम 2 के नीचे भारत सरकार का निर्णय 9 ₹100 प्रति माह प्रति कर्मचारी जो आंतरिक/दूरवर्ती क्षेत्रों, 5 कि.मी. के घेरे के कोई प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक मौजूद नहीं था में कार्य कर रहे, के निर्धारित चिकित्सा भत्ते के भुगतान का प्रावधान करता है। सरकार द्वारा 03 जून 2015 से भत्ते का आहरण किया गया था।

आईजीएनटीयू के 90 प्रतिशत के अधिक वार्षिक व्यय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता अनुदान से पूरा किया जाता है। सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 209 (6) (iv) (क) अनुबंध करता है कि वित्त

[34] केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, जो उन क्षेत्रों में रहते है जो केन्द्रीय सरकार (स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है, को लागू केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सा परिचारक) नियमावली, 1944

[35] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु नियमावली के अध्यादेश 48 के अनुसार

मंत्रालय से परामर्श की आवश्यकता वाले असाधरण मामलों को छोड़कर अनुवर्ती अनुदान, जो उनके वार्षिक व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक हैं, प्राप्त कर रहे संस्थानों के कार्यालयों की सेवा के नियम एवं शर्तें उनसे अधिक नहीं होनी चाहिए जो भारत सरकार के कर्मचारियों की समान श्रेणीयों को लागू है। तथापि, यह पाया गया था कि 01 जुलाई 2013 से, आईजीएनटीयू ने अपने कर्मचारियों को वर्ष के दौरान प्रत्येक माह के यथानुपात एक माह के वेतन (मूल वेतन+ग्रेड वेतन+मंहगाई भत्ता) के बराबर चिकित्सा व्ययों का, स्वयं-प्रमाणन के आधार पर, दावा करना अनुमत किया। तदनुसार, आईजीएनटीयू ने जुलाई 2013 से मार्च 2016 के दौरान ₹1,108.00 से ₹9,372.00 प्रति माह के बीच चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रहे कर्मचारी सहित ₹1.96 करोड़ का व्यय किया। स्वयं प्रमाणन पर किए गए ऐसे भुगतानों के अतिरिक्त आईजीएलटीयू ने अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2015 की अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों को चिकित्सा व्ययों के प्रति ₹0.26 करोड़ की प्रतिपूर्ति भी की थी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (सितम्बर 2016) तथा सूचित किया कि आईजीएनटीयू को अधिक भुगतान की वसूली करने का निर्देश दिया गया था तथा विश्वविद्यालय को अपने कर्मचारियों की सेवा के नियम एवं शर्तें, जो सब मिलाकर, उनसे अधिक न हो जो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की समान श्रेणियों को लागू है, तैयार करने की सलाह दी गई है।

असम विश्वविद्यालय, सिल्चर

13.14 निष्फल व्यय

निधि का सम्पूर्ण प्रावधान करने में असम विश्वविद्यालय, सिल्चर (एयूएस) की विफलता के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण ई-गवर्नेंस परियोजना का कार्यान्वयन नहीं हुआ। प्राइस वाटर हाउस ककूपर्स प्राइ. लिमि. को ₹60.02 लाख का भुगतान जारी करने और एचआर माड्यूल में अनेक कमियां होने के बावजूद ₹37.50 लाख की बैंक गारंटी न भुनाने की एयूएस की कार्रवाई अनियमित थी। इसके अलावा, परियोजना पुन: परिचालित करने में एयूएस की निष्क्रियता ने परियोजना पर किए गए ₹1.75 करोड़ के व्यय को निष्फल प्रस्तुत किया।

असम विश्वविद्यालय, सिल्चर (एयूएस) ने ₹3.75 करोड़ की कीमत पर डिजिटलाइजेशन और ई-गवर्नेंस साल्यूशन (परियोजना) और सहायता का कार्य प्राइस वाटर हाउसकूपर्स प्राइ. लिमि. को सौंपा (अगस्त 2011) । तदनुसार, एयूएस ने चार मॉड्यूलों तथा दो एप्लीकेशन पोर्टलों से बनी परियोजना के कार्यान्वयन हेतु पीडब्लूसी के साथ एक अनुबन्ध किया (सितम्बर 2011)। पीडब्लूसी ने सितम्बर 2011 में कार्य आरम्भ किया और एक मॉड्यूल अर्थात एचआर माड्यूल अप्रैल 2012 में गोलिव घोषित कर दिया। पीडब्लूसी ने अक्तूबर 2012 तक अन्य माड्यूलों/पोर्टलों का हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर[36] संस्थापित किया और नवम्बर 2012 से जून 2014 तक की अवधि के दौरान ₹1.75 करोड़[37] की राशि का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2016) ने दर्शाया कि यद्धपि पीडब्लूसी ने एचआर माडयूल गोलिव घोषित किया (अप्रैल 2012) परन्तु वह सन्तोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहा था क्योंकि एयूएस ने देखा (जनवरी 2013) कि केवल एक सब-माडयूल[38] कार्य कर रहा था जिसमें भी अनेक कमियां थीं। तथापि, जुलाई 2013 में एयूएस तथा पीडब्लूसी ने संयुक्त रूप से एचआर माडयूल से स्वयं को अभ्यस्त करने और पर्याप्त ज्ञान/विशेषज्ञता एकत्र करने के लिए अन्तिम प्रयोक्ताओं को पर्याप्त समय देने का निर्णय लिया। तदनुसार, अस्थाई रूप से परियोजना निलम्बित करने की संयुक्त सहमति हुई थी और गोलिव सपोर्ट अवधि अनुबन्ध में उल्लिखित अप्रैल 2015 के स्थान पर दिसम्बर 2013 तक सीमित ली गई थी। परियोजना को पुन: आरम्भ करने और पारस्परिक स्वीकार्य शर्तों तथा निबन्धनों के साथ नया करार पुन: करने के लिए भविष्य में स्थिति की संयुक्त रूप से समीक्षा करने के लिए भी सहमति हुई थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कम्प्यूटर सेंटर का जेनसेट छात्रों द्वारा जबरदस्ती बाहर ले जाया गया था (मार्च 2014) और मई 2014 में सर्वर नष्ट हो गए

---

[36] चिरस्थाई लाइसेंस वाला

[37] पीडब्लूसी को ₹ 1.75 करोड़ का कुल भुगतान किया जिसमें (i) ई-गवर्नेंस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ₹ 115.25 लाख (नवम्बर 2012), (ii) लाइसेंस फीस की शेष राशि के लिए ₹ 17.97 लाख (मार्च 2013) (iii) एचआर माडयूल लागत का 75 प्रतिशत ₹31.31 लाख (मई 2013) ओर (iv) एचआर माडयूल लागत का शेष 25 प्रतिशत ₹ 10.73 लाख (जून 2014) शामिल थे।

[38] अनुपस्थिति प्रबन्धन

जिससे संस्थापित हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर मई 2014 से निष्क्रिय हो गए। एयूएस ने जून 2015 में दी परियोजना पुन:चालू बनाने के लिए पेडअप सपोर्ट के लिए पीडब्ल्यूसी को प्रस्ताव किया परन्तु पीड्ब्ल्यूसी ने पेड-अप सपोर्ट प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया (अगस्त 2015)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (अगस्त 2016) में परियोजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियों का पता चला:

क. एयूएस ने ₹3.75 करोड़ की कुल लागत के प्रति ₹1.75 करोड़ का वित्तीय सहयोग प्रदान किया (सितम्बर 2011)। इस प्रकार, एयूएस के पास शेष ₹2.00 करोड़ का वित्तीय प्रावधान नहीं था। निधि का ऐसा अप्रावधान सम्पूर्ण परियोजना का कार्यान्वयन न होने का एक कारण था क्योंकि परियोजना निगरानी समिति (पीएमसी) ने स्वीकार किया (मार्च 2013) कि परियोजना के लिए उपलब्ध निधि अपर्याप्त थी और एयूएस केवल ₹1.75 करोड़ मूल्य के लक्ष्य अर्थात ओरेकल सॉफ्टवेयर लाइसेंस, हार्डवेयर लागत तथा एचआर माडयूल प्राप्त कर सकेगा।

ख. पीडब्लूसी से अनुबन्ध के अनुसार, एयूएस को परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान निगरानी तथा पीडब्लूसी के साथ समन्वय के लिए एक कोर कमेटी गठित करनी थी। परियोजनाओं की निगरानी हेतु एयूएस ने दो समितियां यथा परियोजना निगरानी समिति (पीएमसी) तथा कोर समिति (सीसी) का गठन किया (सितम्बर 2011)। अभिलेखों से पता चला कि परियोजना निगरानी समिति पीएमसी की पहली बैठक जनवरी 2013 में आयोजित हुई जब परियोजना पहले ही अप्रैल 2012 में गो-लिव घोषित की जा चुकी थी। इसने दर्शाया कि पीएमसी ने कार्यान्वयन चरण की निगरानी नहीं की थी। इसके अलावा, एयूएस ने या तो पीएमसी द्वारा अथवा सीसी द्वारा पीडब्लूसी के साथ समन्वय स्थापित करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था।

ग. एयूएस के उपकुलपति ने पाया (जनवरी 2013) कि एचआर माडयूल का केवल छुट्टी अनुभाग (अनुपस्थिति प्रबन्धन) कार्य कर रहा था। उस अनुभाग में भी अनेक कमियां देखी गई थीं और वीसी ने सुझाव दिया कि पीडब्लूसी को और भुगतान करने से पूर्व सम्पूर्ण प्रगति की देखभाल की

जानी आवश्यक है। अभिलेखों से पता चला कि यद्धपि पीएमसी ने परियोजना का निष्पादन असन्तोषजनक पाया (फरवरी 2013) परन्तु अनुबन्ध की शर्तों तथा निबन्धनों के अनुसार पीडब्लूसी को लाइसेंस फीस की शेष राशि का भुगतान करने की सिफारिश की। तदनुसार, मार्च 2013 में पीडब्लूसी को ₹17.97 लाख की राशि का भुगतान किया गया था। इसके अलावा, पीएमसी ने पीडब्लूसी को देय 75 प्रतिशत एचआर माडयूल की लागत जारी करने की सिफारिश की (मार्च 2013) जबकि 25 प्रतिशत शेष एचआर मॉडयूल के सुगत तथा वांछित कार्यचालन से सम्बन्धित विश्वविद्यालय की पूर्ण सन्तुष्टि के बाद जारी की जानी थी। तदनुसार ₹31.32 लाख (एचआर माडयूल लागत का 75 प्रतिशत) का मई 2013 में पीडब्ल्यूसी को भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि अन्त प्रयोक्ताओं से प्रतिपुष्टि[39] (जुलाई 2013) से एचआर मॉडयूल के कार्यान्वयन तथा कार्यचालन से सम्बन्धित सकल असन्तुष्टि का प्रकटन हुआ जो पीडब्लूसी द्वारा अनसुलझा रहा। जिस पर एयूएस तथा पीडब्लूसी के बीच बैठक (जुलाई 2013) के दौरान यह पारस्परिक सहमति हुई थी कि पीडब्लूसी ने कहीं अधिक पूर्ण किया था और एचआर तथा सभी संबंधित माडयूल एयूएस को सुपुर्द किया गया था जो प्रचालन में थे। ₹10.73 लाख (एचआर माडयूल लागत का 25 प्रतिशत) की बकाया राशि पीडब्लूसी को जारी करने का भी निर्णय लिया गया था, जिसका जून 2014 में भुगतान किया गया। इस प्रकार, एयूएस ने एचआर माडयूल में अनेक कमियों के बावजूद ₹60.02 लाख का भुगतान जारी किया जो अनियमित था।

घ. आरएफपी[40] के खण्ड 4.8 के अनुसार, एयूएस ने अनुबन्ध की शर्तों तथा निबन्धनों के अनुसार पीडब्लूसी द्वारा सन्तोषजनक निष्पादन हेतु प्रतिभूति के रूप में 30 जून 2015 तक वैद्धता अवधि के साथ मार्च 2012 में पीडब्लूसी से ₹37.50 लाख की बैंक गारंटी प्राप्त की। तथापि, एचआर माडयूल में अनेक कमियों के बावजूद एयूएस ने बैंक गारंटी को भुनाया नहीं था।

---

[39] अनुबन्ध के अनुसार प्रतिपुष्टि के आधार पर पीडब्लूसी को सुधार करने थे।

[40] प्रस्ताव का अनुरोध

ड. कुछ तकनीकी तथा विद्युत मामलों के कारण परियोजना मई 2014 से निष्क्रिय थी परन्तु एयूएस ने पेडअप सपोर्ट मुहैया करने के लिए पीडब्लूसी द्वारा इनकार (अगस्त 2015) के बाद अन्य एजेंसी लगाने के द्वारा परियोजना पुन: परिचालन बनाने के लिए कोई आगे कार्रवाई आरम्भ नहीं की। एयूएस की ऐसी निष्क्रियता ने परियोजना को निष्क्रिय बना दिया जिससे परियोजना पर किया गया ₹1.75 करोड़ का कुल व्यय निष्फल हो गया।

इस प्रकार, निधियों का सम्पूर्ण प्रावधान करने में एयूएस की विफलता के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण परियोजना लागू नहीं हुई। एचआर माडयूल में अनेक कमियों का सामना करने के बावजूद पीडब्लूसी को ₹60.02 लाख का भुगतान अनियमित था और ₹37.50 लाख की बैंक गारंटी को न भुनाने में औचित्य का अभाव था। इस प्रकार, परियोजना पुन: चालू बनाने के लिए एयूएस की ओर से निष्क्रियता से पीडब्लूसी को किया गया ₹1.75 करोड़ (फुटनोट सं. 37 देखें) का सम्पूर्ण भुगतान निष्फल हो गया।

एसूएस ने बताया (नवम्बर 2016) कि वे परियोजना दोबारा आरम्भ करने का रास्ता खोजने के लिए वर्तमान हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक स्थिति मूल्यांकन समिति गठित करेंगे।

मामला सितम्बर 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

13.15 पांच केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा एलटीसी दावों की अनियमित प्रतिपूर्ति

पांच केन्द्रीय स्वायत्त निकायों ने छुट्टी रियायत का लाभ लेने के लिए एमओएफ मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में अप्राधिकृत एजेंटों से अपने कर्मचारियों द्वारा खरीदे गए एयर टिकटों के प्रति 2012-16 के दौरान ₹ 6.90 करोड़ का हवाई किराया अनियमित रूप से प्रतिपूर्त किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर ने दावों के विल्बित प्रस्तुतीकरण के बावजूद ₹1.14 करोड़ का एलटीसी अग्रिम वसूल नहीं किया जिसमें से ₹19.85 लाख जब्त किया जाना था। एयरलाइनों के साथ दावों के प्रति सत्यापन से भी पता चला कि भारतीय

प्रौद्योगिकी संस्थान खडगपुर तथा भारतीय प्रौद्धोगिकी संस्थान बोम्बे द्वारा प्रतिपूर्त हवाई किराए ₹18.56 लाख तक स्फीत किए गए थे।

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) पर हवाई यात्रा के लिए वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (एमओएफ) द्वारा जारी (सितम्बर 2010) दिशा-निर्देशों के अनुसार एयर टिकट सीधे एयरलाइनों[41] से अथवा प्राधिकृत ट्रैवल एजेंटों यथा मै. वामर लारी एण्ड कम्पनी, मै. अशोक ट्रैवल्स एण्ड टूर्स तथा भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी[42]) की सेवाओं का उपयोग करने के द्वारा खरीदी जानी थीं।

एलटीसी बिलों की नमूना जांच से पता चला कि जांच केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) ने स्वयं/परिवार सदस्यों का एलटीसी प्राप्त करते समय वायु यात्राएं करने के लिए अपने कर्मचारियों को 2012-13 से 2015-16 तक के दौरान 932 मामलों में ₹6.90 करोड़ का वायु किराया प्रतिपूर्त किया जैसा नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	लेखापरीक्षित इकाई	मामलों की संख्या	प्रतिपूर्ति राशि (₹ करोड़ में)
1.	भारतीय प्रौद्धोगिकी संस्थान, खड़गपुर (आईआईटीके)	731	5.04
2.	भारतीय प्रौद्धोगिकी संस्थान, बोम्बे (आईआईटीबी)	100	1.05
3.	राष्ट्रीय प्रौद्धोगिकी संस्थान, वारंगल (एनआईटीडब्ल्यू)	2	0.02
4.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय (यूओए)	87	0.59
5.	राष्ट्रीय प्रौद्धोगिकी संस्थान, हमीरपुर (एनआईटीएच)	12	0.20
	कुल	**932**	**6.90**

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि वायुयात्रा के समर्थन में इन सीएबी के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत हवाई टिकट प्राधिकृत ट्रैवल एजेंटों के अतिरिक्त एजेंटों से खरीदे गए थे। चूंकि हवाई टिकटों की खरीद एमओएफ मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में की गई थी इसलिए ₹6.90 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनियमित थी।

---

[41] बुकिंग काउन्टरों पर/एयरलाइनों की बेवसाइट पर

[42] डीओपीटी ओंएम सं. 31011/6/2002-स्था.(क) दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार इस कदर तक आईआरसीटीसी प्राधिकृत है।

आगे संवीक्षा से निम्नलिखित अनियमितताओं का पता चला:

(i) सीसीएस[43] (एलटीसी) नियम 1988 के नियम 15 (VI) के साथ पठित अग्रिमों पर नियमों के सारसंग्रह के नियम 52 (2) के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्णयों के अनुसार जहां कोई अग्रिम एलटीसी के लिए आहरित किया गया है वहां अन्तिम बिल वापसी यात्रा के समापन के एक माह के अन्दर प्रस्तुत किया जाना है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो अधिकारी, जिसने अग्रिम संस्वीकृत किया, तत्काल अग्रिम की एकमुश्त वसूली करे और एक बार ऐसी वसूली की जाती है तो इसे ऐसा माना जायेगा मानो अग्रिम आहरित नहीं किया गया था और दावा तीन माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत किया जाना अनुमत किया जाएगा जिसकी विफलता में यह स्वत: जब्त हो जाएगा। आईआईटीके में लेखापरीक्षा ने 141 मामलों में पाया (दिसम्बर 2016) कि ₹1.14 करोड़ के एलटीसी अग्रिम दिए गए थे परंतु प्रतिपूर्ति के दावे एक माह की निर्धारित तारीख से एक तथा 728 दिनों के बीच विलम्ब के बाद प्रस्तुत किए गए थे। दावों के विलम्बित प्रस्तुतीकरण के बावजूद, आईआईटीके ने ₹1.14 करोड़ के एलटीसी अग्रिमों को एकमुश्त वसूल नहीं किया। इसके अलावा 20 मामलों में ₹19.85 लाख के कुल दावे तीन माह की निर्धारित तारीख से दो तथा 668 दिनों के बीच विलम्ब के बाद प्रस्तुत किए गए थे। दावों के विलम्बित प्रस्तुतीकरण के बावजूद दावों को जब्त करने के बजाय आईआईटीके ने ₹19.85 लाख की अनियमित रूप से प्रतिपूर्ति की।

(ii) सीसीएस (एलटीसी) नियम, 1988 के नियम 14 के अनुसार जहां सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई अग्रिम आहरित नहीं किया गया है वहां यात्राओं पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए दावा वापसी यात्रा के समापन के तीन माह के अन्दर प्रस्तुत किया जाना है और ऐसा करने में विफलता पर सम्पूर्ण दावा जब्त किया जाना है। आईआईटीके में लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच मामलों में ₹3.43 लाख के कुल दावे निर्धारित तारीख से 11 तथा 201 दिनों के बीच विलम्ब के बाद प्रस्तुत किए गए थे। दावों के विम्लबित

[43] केन्द्रीय सिवल सेवा

प्रस्तुतीकरण के बावजूद, आईआईटीके ने दावों को जब्त करने के बजाय दावों की अनियमित रूप से प्रतिपूर्ति की।

(iii) लेखापरीक्षा में एयर इण्डिया के अभिलेखों के साथ आईआईटीके तथा आईआईटीबी के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत दावों का प्रति सत्यापन किया और देखा कि दावित किराए ₹18.56 लाख तक स्फीत किए गए थे जैसा नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	लेखापरीक्षित इकाई	मामलों की संख्या	स्फीत राशि (₹ लाख में)
1.	आईआईटी खडगपुर	80[44]	11.21
2.	आईआईटी बॉम्बे	37[45]	7.35
कुल		**117**	**18.56**

इस प्रकार, सीएबी ने एलटीसी प्राप्त करने के लिए एमओएफ मार्गनिर्देशों का उल्लंघन कर अप्राधिकृत एजेंटों से उनके कर्मचारियों द्वारा खरीदे गए हवाई टिकटों के प्रति 2012-16 के दौरान ₹6.90 करोड़ के हवाई किरायों की अनियमित रूप से प्रतिपूर्ति की। इसके अलावा, दावों के विलम्बित प्रस्तुतीकरण के बावजूद आईआईटीके ने ₹1.14 करोड़ का एलटीसी अग्रिम वसूल नहीं किया जिसमें से ₹19.85 लाख जब्त किया जाना था। आईआईटीके ने दावों के विलम्बित प्रस्तुतीकरण के बावजूद ₹3.43 लाख के दावों को भी जब्त नहीं किया था जहां कोई अग्रिम नहीं दिया गया था। एयरलाइनों के साथ दावों के प्रति सत्यापन से भी पता चला कि आईआईटीके तथा आईआईटीबी द्वारा प्रतिपूर्ति हवाई किराए ₹18.56 लाख तक स्फीत किए गए थे।

आईआईटीके ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली और बताया (सितम्बर 2016) कि मै. बामर लारी एण्ड कम्पनी, मै. अशोक ट्रैवल्स एण्ड टूर्स तथा भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के माध्यम से टिकटें बुक करने के लिए सभी स्टाफ सदस्यों को परामर्श जारी किया गया था और

[44] शेष 651 मामलों (731-80) में एयरलाइन्स से कोई सूचना प्राप्त नहीं की गई थी।

[45] शेष 63 मामलें (100-37) एयर इंडिया से अलग एयरलाइन्स से संबंधित है जिनकी हवाई टिकटों के ब्यौरे के अभाव में जांच नहीं की जा सकी थी।

कि एलटीसी खर्चों की प्रतिपूर्ति एलटीसी-80 किराए के अन्दर थी जैसा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया।

आईआईटीबी ने भी लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली और बताया (फरवरी 2016) कि लेखापरीक्षा द्वारा उल्लेख किए जाने पर एयर इण्डिया बेबसाइट/काउन्टरों से अथवा तीन सरकार प्राधिकृत एजेंसियों से सीधे हवाई टिकटें बुक करने के लिए सभी कर्मचारियों को परिपत्र जारी किया गया था। 37 मामलों में अधिक प्रतिपूर्ति के संबंध में, आईआईटीबी ने बताया (फरवरी 2016) कि एलटीसी-80 किरायों का दावा सीमित कर प्रतिदाय/वसूली पहले ही आरम्भ की जा चुकी है।

एनआईटीडब्ल्यू ने बताया (फरवरी 2017) कि कर्मचारियों को असावधानी के कारण प्रतिपूर्ति की गई थी तथा भविष्य में, वह एलटीसी की प्रतिपूर्ति के नियमों एवं विनियमों का सख्ती से पालन करेगा। यूओए तथा एनआईटीएच ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था (जनवरी 2017) जबकि उनको क्रमश: दिसंबर 2016 तथा दिसंबर 2015 में मामला सूचित किया गया था।

आईआईटी खडगपुर तथा आईआईटी बॉम्बे का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दोनों संस्थानों ने सीसीएस (एलटीसी) नियम 1988 और भारत सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों का उल्लंघन कर अपने कर्मचारियों के एलटीसी दावों की प्रतिपूर्ति की।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था तथा उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर

13.16 कैरियर एडवांस स्कीम के अनियमित कार्यान्वयन के कारण अधिक भुगतान

एमएचआरडी के निर्देशों का उल्लंघन कर कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत संकाय सदस्यों की पदोन्नति के परिणामस्वरूप ₹1.46 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

5वें केन्द्रीय वित्त आयोग (सीपीसी) के बाद केन्द्रीय वित्तपोषित डिग्री स्तर तकनीकी संस्थानों में अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन से सम्बन्धित मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) आदेश (अक्तूबर 1998) की 'कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस)' के पैरा 1(iii) के अनुसार सहायक प्रोफेसर तथा ऊपर के ग्रेडों में जाने के लिए निम्नतम पात्रता मानदण्ड पीएचडी होगा। बिना पीएचडी अध्यापक लेक्चरर (सलेक्शन ग्रेड) (वेतनमान ₹12,000- ₹18300) के स्तर तक जा सकते थे। एमएचआरडी ने स्पष्ट किया (मई 2007) कि सलेक्शन ग्रेड लेक्चरर उनके पीएचडी प्राप्त करने की तारीख से सहायक प्रोफेसर के रूप में उन्नयन हेतु माने जाएंगे। बाद में, एमएचआरडी ने सीएएस के अन्तर्गत संकाय की पदोन्नति के लिए निम्नलिखित मार्गनिर्देश जारी किए (मार्च 2012):

(i) चयन समिति की सभी सिफारिशें केवल बोर्ड द्वारा सिफारिशों के अनुमोदन की तारीख अथवा बोर्ड द्वारा यथा निर्णीत किसी बाद की तारीख से प्रभावी होंगी। जो भी हो सिफारिशों का पूर्वव्यापी कार्यान्वयन नहीं होगा (या तो वित्तीय अथवा सैद्धान्तिक)।

(ii) संस्थान द्वारा पहले ही कार्यान्वित पे बैण्ड अथवा ग्रेड पे की कोई पदोन्नति अथवा वृद्धि की शीघ्र ही विधिवत् गठित चयन समिति द्वारा समीक्षा/जांच कराई जानी चाहिए।

(iii) पीएचडी बिना संकाय सदस्य एजीपी की कोई वृद्धि अर्जित नहीं करेगा जब तक पीएचडी डिग्री प्राप्त नहीं करेगा।

6वें सीपीसी के कार्यान्वयन के बाद, एमएचआरडी ने वर्तमान पदधारियों के वेतन निर्धारण हेतु फिटमेंट तालिकाएं परिचालित कीं (जून 2009)। फिटमेंट तालिकाओं के अनुसार लेक्चरर (सलेक्शन ग्रेड) का पे बैण्ड ₹15,600-₹39100 जमा एकेडमिक ग्रेड पे (एजीपी) ₹8000 प्रति माह था। इसके अलावा 6$^{वें}$ सीपीसी की सिफारिशों पर वेतनमानों का संशोधन अपनाकर एमएचआरडी ने वेतन के निर्धारण हेतु निर्देशों का नया सेट जारी किया (अगस्त 2009) जिसके अनुसार पीएचडी की डिग्री वाले और ₹7000 प्रतिमाह के एजीसी में तीन वर्षों की नियमित सेवा के साथ सहायक प्रोफेसर ₹8000 प्रतिमाह के एजीसी में जाने के पात्र होंगे।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) जमशेदपुर ने 16वीं शासक बोर्ड (बीओजी) बैठक में इसके अनुमोदन (नवम्बर 2011) के बाद सीएएस (5वें सीपीसी के अनुसार) लागू किया और 75 संकाय सदस्यों को पदोन्नत किया। इसके अलावा 18वीं बीओजी बैठक (मार्च 2013) में बीओजी ने काल्पनिक वेतन वृद्धि के साथ 6वें सीपीसी के अनुसार संशोधित वेतनमान में 1 जनवरी 2006 से संकाय का वेतन निर्धारण अनुमोदित किया। तदनुसार, एनआईटी ने 1 जनवरी 2006 से सैद्धान्तिक निर्धारण और 29 नवम्बर 2011 से वित्तीय लाभ दर्शाते हुए संशोधित वेतन निर्धारण आदेश जारी किए (अगस्त 2013)।

पदोन्नत 75 संकाय सदस्यों में से 21 संकाय सदस्यों के वेतन निर्धारण आदेशों की लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच में पता चला कि:

(i) एनआईटी ने पीएचडी डिग्री बिना 16[46] लेक्चरर (सलेक्शन ग्रेड) को ₹9000 के एजीपी में सहायक प्रोफेसर पदोन्नत किया गया और एमएचआरडी परिपत्रों के उल्लंघन में पूर्वव्यापी सैद्धान्तिक लाभ भी दिया, परिणामस्वरूप नवम्बर 2011 से मार्च 2016 तक की अवधि के लिए ₹1.34 करोड़[47] का अनियमित भुगतान हुआ।

(ii) एनआईटी ने एमएचआरडी परिपत्रों के उल्लंघन में पांच संकाय को पूर्वव्यापी सैद्धान्तिक लाभ दिया परिणामस्वरूप नवम्बर 2011 से मार्च 2016 तक की अवधि के लिए ₹0.12 करोड़[48] का अनियमित भुगतान हुआ।

उत्तर में एनआईटी ने बताया (अगस्त 2016) कि:

(i) एमएचआरडी ने अध्यापकों तथा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में समान संवर्गों के लिए आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2008 के तहत 6वें सीपीसी का कार्यान्वयन अधिसूचित किया जिसमें यह उललेख किया गया

[46] 15 लेक्चरर पीएचडी नहीं थे और एक लेक्चरर (श्री बीके प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर (सीईडी) ने अगस्त 2009 में अपनी पीएचडी उसने अभी पीएचडी की डिग्री प्राप्त नहीं की थी, में एजीपी ₹9,000 में पदोन्नति दी गई थी।

[47] अनियमित भुगतान केवल मूल वेतन के आधार पर परिकलित किया गया है और मत्रों को नहीं लिया गया है। श्री बीके प्रसाद के मामले में अनियमित भुगतान परिकल्पित नहीं किया गया है क्योंकि पीएचडी पूरी करने के बाद उसका वेतन नियम प्रक्रिया के समापन के बाद निर्धारित किया जाना था।

[48] अनियमित भुगतान को केवल मूल वेतन के आधार पर परिकलित किया है तथा भत्तों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

था कि पदधारी रीडर तथा लेक्चचर (सलेक्शन ग्रेड) जिन्होंने 1 जनवरी 2006 को ₹12,000 - ₹18,300 के वर्तमान वेतनमान में तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं, ₹9,000 के एजीपी के साथ ₹37,400 - ₹67,000 के पे बैण्ड में रखे जाएंगे और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पुन: नामित किए जाएंगे। वेतन निर्धारत आदेश दिनांक 4 जून 2009 के द्वारा एमएचआरडी द्वारा अधिसूचित निर्धारण तालिका के अनुसार 6$^{वें}$ सीपीसी के अन्तर्गत किया जाना था। किसी संकाय को एमएचआरडी के उपर्युक्त आदेश की अपेक्षा के अनुसार ₹8,000 के एजीपी में 3 वर्ष पूरे किए बिना एजीपी ₹9,000 नहीं दिया गया है।

(ii) सीएस के मामले में, एमएचआरडी ने विभिन्न मामलों पर समय-समय पर दिशा-निर्देश दिए थे। तथापि, अन्तिम निर्णय संस्थान पर छोड दिया गया है। इसलिए बीओजी ने अपनी 18$^{वीं}$ बैठक में उन संकाय सदस्यों के वेतनमान में 1 जनवरी 2006 से सैद्धान्तिक वेतन वृद्धियों का देना अनुमत किया जो 5$^{वें}$ सीपीसी के अनुसार सीएएस के अन्तर्गत पदोन्नत किए गए हैं।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि:

(i) 5$^{वें}$ सीपीसी के अन्तर्गत सीएएस स्पष्ट कहता है (अक्तूबर 1998 तथा मई 2007) कि पीएचडी का मानदण्ड सहायक प्रोफेसर के उन्नयन हेतु अपेक्षित है।

(ii) एमएचआरडी ने मार्च 2012 में जारी अपने आदेश के द्वारा स्पष्ट तथा उल्लेख किया कि चयन समिति की सफारिशों (या तो वित्तीय अथवा सैद्धान्तिक) का पूर्वव्यापी कार्यान्वयन नहीं होगा।

इस प्रकार, एनआईटी जमशेदपुर ने सीएएस के अनुचित कार्यान्वयन के माध्यम से ₹1.46 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

मामला अगस्त 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उसका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

13.17 निधियों का अवरोधन और अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त न करना

2009 में तिरूवन्तपुरम तथा कन्नूर में सरकारी महिला महाविद्यालय में दो महिला छात्रावास के निर्माण के लिए यूजीसी द्वारा जारी अनुदान सात वर्ष बीत जाने के बाद भी न तो उपयोग किए गए और न ही वापस किए गए थे परिणामस्वरूप ₹1.27 करोड़ (ब्याज सहित) की निधियों का अवरोधन हुआ और अभिप्रेत उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

छात्रावासों तथा अन्य संरचनात्मक सुविधाएं मुहैया करने के उद्देश्य से यूजीसी ने "महिला छात्रावासों के निर्माण" के लिए विशेष योजना के अन्तर्गत केरल में दो महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु दो महाविद्यालयों[49] को ₹75 लाख का अनुदान संस्वीकृत किया (मार्च 2009)। जीएफआर के नियम 209 (6) (ix) के अनुसार बॉण्ड की शर्त के अनुपालन में विफलता अथवा उल्लंघन की दशा में अनुदानग्राही दस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज के साथ अनुदान की पूर्ण अथवा आंशिक राशि भारत के राष्ट्रपति को वापस करने का दायी है।

यूजीसी के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि आवंटित अनुदान न तो उपयोग किए गए थे और न ही सात वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी इन महाविद्यालयों द्वारा वापस किए गए थे। जीएफआरके उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार उन पर देय ब्याज ₹52.50 लाख बना। इसके परिणामस्वरूप ₹1.27 करोड़ (ब्याज सहित) की निधियों का अवरोधन हुआ और महिला छात्रावासों के निर्माण का अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

अपने उत्तर (अप्रैल 2016) में यूजीसी बंगलौर ने बताया कि दस प्रतिशत ब्याज के साथ अनुदान वापस करने तक इन महाविद्यालयों को आगे अनुदानों का जारी करना उन्होंने बन्द कर दिया था।

मामला अप्रैल 2016 में एमएचआरडी को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

---

[49] सरकारी महिला महाविद्यालय, वाजूथाकोड, तिरूवनंतपुरम को जनवरी तथा मार्च 2009 में ₹25 लाख प्रत्येक की 2 किस्तों में 2009 के दौरान ₹ 50 लाख जारी किए गए थे तथा सरकारी बर्नेन महाविद्यालय, थालसरे, कन्नूर को मार्च 2009 में ₹ 25 लाख जारी किये गए थे।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास

13.18 विद्युत खपत पर दण्ड प्रभारों के प्रति परिहार्य व्यय

आईआईटी, मद्रास ने संस्वीकृत मांग, की गैर-समीक्षा तथा वृद्धि के कारण अप्रैल 2013 से मार्च 2016 तक के दौरान अनुबंधित मांग से अधिक शास्ति के प्रति ₹1.05 करोड़ का परिहार्य व्यय किया था।

तमिलनाडु विद्युत नियामक आयोग (टीएनईआरसी) को टैरिफ संरचना के अन्तर्गत हाई टेंशन (एचटी) उपभोक्ताओं के लिए किसी माह के अधिकतम मांग प्रभार उस माह में दर्ज वास्तिवक किलो वोल्ट एम्पीयर (केवीए) मांग अथवा संस्वीकृत मांग के 90 प्रतिशत जो भी अधिक हो के आधार पर उद्ग्रहीत किए जाएंगे। इसके अलावा जब कभी उपभोक्ता संस्वीकृत मांग से आगे बढ जाता है तब केवल अधिक मांग तमिलनाडु विद्युत आपूर्ति कोड 2010 के पैरा 5(2)(i) के अनुसार सामान्य दर को दोगुने पर शास्ति के रूप में प्रभारित की जाएगी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मद्रास का जून 2010 से 6000 केवीए की संस्वीकृत अधिकतम मांग के साथ एचटी सर्विस कनेक्शन है। तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) द्वारा संस्वीकृत मांग में क्रमिक वृद्धि/कटौती के बीच अनुमत अन्तराल एक वर्ष है। आईआईटी, मद्रास ने मार्च 2016 में 6000 केवीए से 7000 केवीए तक कराए मांग में वृद्धि करने के लिए कार्रवाई आरम्भ की है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आईआईटी मद्रास की संस्वीकृत मांग (6000 केवीए) अप्रैल 2012 से बढ़ रही है। सितम्बर 2011[50] से मार्च 2016 तक की अवधि के दौरान 55 माह में से 33 में संस्वीकृत मांग बढ गई थी और 6003 केवीए तथा 7155 केवीए के बीच थी। यह भी देखा गया था कि 2013 तथा 2015 के दौरान अवसंरचना में पर्याप्त वृद्धि हुई थी जिसके परिणामस्वरूप विद्युत खपत में भी वृद्धि हुई थी। अवसंरचना में वृद्धि के संदर्भ में संस्वीकृत मांग की समीक्षा करने में विफलता जैसा खपत पैटर्न से स्पष्ट है, के परिणामस्वरूप तमिलनाडु

[50] आईआईटी मद्रास सितम्बर 2011 अर्थात जून 2010 में 6000 केवीए की वृद्धि से एक वर्ष और निर्णय लेने तथा प्रक्रियाओं के लिए 3 माह के कुशन से संस्वीकृत मांग में वृद्धि/कमी कर सका।

एवं संवितरण उत्पादन निगम लिमिटेड को ₹1.05 करोड़[51] की शास्तियों का भुगतान हुआ।

उत्तर में मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास के उत्तर का समर्थन किया (अगस्त 2016) जिसमें बताया गया (जुलाई 2016) कि शास्ति का परिहार करने के उद्देश्य से करार मांग में कोई अवास्तविक वृद्धि अतिरिक्त भुगतान का कारण बन सकती है तब भी जब अधिकतम मांग करार से कम है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने द्वारा अधिकतम मांग कम करने के लिए और 6000 केवीए से 7000 केवीए तक करार में मांग में वृद्धि (मार्च 2016) कर आगे कार्रवाई की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खपत पैटर्न संस्वीकृत मांग से लगातार बढ गया जिस पर अप्रैल 2012 से शास्ति लगी। आईआईटी मद्रास ने जून 2010 से अपनी संस्वीकृति मांग की समीक्षा प्रत्येक 12 माह में एक बार करने का विकल्प था। दर्ज मांग स्वीकृत मांग से नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के पूर्ण होने के बाद भी लगातार बढ गई। संस्वीकृत मांग में वृद्धि के बाद भी बचत शास्ति के रूप में अतिरिक्त भुगतानों की अपेक्षा अधिक हुई। आईआईटी मद्रास ने लेखापरीक्षा में मामला उठाए जाने के बाद अपनी करार मांग संशोधित करने की कार्रवाई की।

इस प्रकार, आवधिक समीक्षा करने और उचित समय पर करारगत मांग बढाने में आईआईटी मद्रास की विफलता के कारण ₹1.05 करोड़ की शास्ति का परिहार्य भुगतान हुआ।

हैदराबाद विश्वविद्यालय

13.19 अध्यापन संकाय को परिवहन भत्ते का अनियमित भुगतान

हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा अवकाश अवधियों के दौरान पूरे कलेण्डर माह केलिए ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधियों के लिए अध्यापन संकाय को परिवहन भत्ता तथा उस पर महंगाई भत्ता (डीए) के भुगतान के परिणामस्वरूप ₹95.96 लाख का अनियमित भुगतान हुआ।

[51] खपत पैटर्न की समीक्षा करने के लिए आईआईटी को पर्याप्त कुशन देने के बाद प्रदत्त रायल्टी अप्रैल 2013 से मार्च 2016 तक मानी गई है।

भारत सरकार परिवहन भत्ता नियम शर्त अनुबंध करता है कि अवकाश स्टाफ को परिवहन भत्ता अवकाश के दौरान अनुमेय नहीं होगा जब ऐसा अवकाश अवधि, सभी प्रकार की छुट्टी सहित, सम्पूर्ण कलेण्डर महीना (ने) बनता है। इसके अलावा छुट्टी/प्रशिक्षण/दौरा आदि के कारण पूरे कलेण्डर माह के लिए ड्यूटी से अनुपस्थिति के दौरान कर्मचारियों को परिवहन भत्ता स्वीकार्य नहीं था। यदि अनुपस्थिति एक माह से भी अधिक है तब यह ऐसी अनुपस्थिति द्वारा पूर्णतया सम्मिलित कलेण्डर महीना (ने) के लिए भी स्वीकार्य नहीं होगा। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप परिवहन भत्ता (टीए) की नई दरों के साथ ने नियम 1 सितम्बर 2008 से लागू हुए थे।

हैदराबाद विश्वविद्यालय ने एकेडमिक वर्षों 2012-13 से 2015-16 के दौरान अध्यापन संकाय के लिए अवकाश अवधि के रूप में निम्नलिखित अवधियां अधिसूचित कीं:

क्र.सं.	एकेडमिक वर्ष	अवकाश	अवकाश की अवधि	पूर्ण माह जिसके लिए परिवहन भत्ता तथा उस पर डीए पात्र नहीं है
1.	2012-13	शीतकाल	1.12.2012 से 1.1.2013	दिसम्बर 2012
		ग्रीष्मकाल	11.5.2013 से 12.6.2013	शून्य
2.	2013-14	शीतकाल	2.12.2013 से 1.1.2014	शून्य
		ग्रीष्मकाल	17.5.2014 से 30.6.2014	जून 2014
3.	2014-15	शीतकाल	2.12.2014 से 1.1.2015	शून्य
		ग्रीष्मकाल	18.5.2015 से 30.6.2015	जून 2015
4.	2015-16	शीतकाल	09.12.2015 से 03.01.2016	शून्य
		ग्रीष्मकाल	16.05.2016 से 30.06.2016	जून 2016

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च/जुलाई 2016) कि यद्धपि संकाय 2012-13 से 2015-16 तक के एकेडमिक वर्षों की अवकाश अवधियों के दौरान दिसम्बर 2012, जून 2014, जून 2015 तथा जून 2016 में पूरे कलेण्डर माह के लिए ड्यूटी से अनुपस्थित थे परन्तु ₹95.96 लाख का परिवहन भत्ता (टीए पर महंगाई भत्ता सहित) का उपर्युक्त परिवहन भत्ता नियमों के उल्लंघन में चार पूर्ण कलेण्डर महीनों के लिए अध्यापन संकाय को भुगतान किया गया था।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2016) कि उन्होंने अवकाश के दौरान अध्यापकों को परिवहन भत्ता अदा किया था क्योंकि उन्होंने अनुसंधान के

संबंध में पीएचडी स्कालरों को मार्गदर्शन अथवा अन्य अध्ययन अथवा प्रशासनिक कार्य के लिए कलेण्डर माह में कम से कम कुछ दिनों के लिए अपने स्कूलों/विभागों में उपस्थिति दी और अधिनियम तथा विश्वविद्यालय की संनिधियों में निहित शक्तियों के बल पर विश्वविद्यालय ने एकेडमिक तथा अनुसंधान पहलुओं को ध्यान में रखकर अध्यापकों को परिवहन भत्ते का भुगतान किया था।

विश्वविद्यालय का उत्तर इस तथ्य कि मंत्रालय निर्देश (दिसम्बर 2008) तथा यूजीसी विनियम 2010 (जून 2012 में जारी) छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामत: केन्द्र सरकार कर्मचारियों के समान अध्यापकों को यथा लागू परिवहन भत्ता सहित भत्तों के भुगतान की शर्त लगाते हैं, के दृष्टिगत स्वीकार्य नहीं था।

इसके अलावा अवकाश के दौरान उपस्थिति पर सूचना प्रदान करने के लिए अध्यापन संकाय के लिए अनिवार्य बनाकर लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा परिपत्र जारी करना (अक्तूबर 2016) इस तथ्य को रेखांकित करता है कि अवकाश के दौरान परिवहन भत्ते के भुगतान के लिए 2012-13 से 2015-16 के दौरान ऐसी सूचना प्राप्त करने की कोई प्रथा नहीं थी। इसलिए पूर्ण कलेण्डर महीना (नों) को शामिल कर अवकाश अवधि के दौरान अध्यापन संकाय को ₹95.96 लाख के परिवहन भत्ता (टीए पर महंगाई भत्ता सहित) का अनियमित भुगतान हुआ था।

मामला जून 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

13.20 हैदराबाद स्कूल विश्वविद्यालय का केन्द्रीय विद्यालय परियोजना स्कूल में अनुचित परिवर्तन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्वीकृति के बिना हैदराबाद विश्वविद्याल परिसर स्कूल (यूएचसीएस) के केन्द्रीय विद्यालय परियोजना स्कूल में अनुचित परिवर्तन के परिणामस्वरूप केवी परियोजना स्कूल के शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ के वेतन एवं भत्तों के प्रति ₹7.07 करोड़ का परिहार्य

व्यय में हुआ जबकि उनका यूएचसीएस शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ का कम उपयोग प्रस्तुत किया गया।

विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद ने अपनी 156वीं बैठक (जून 2012) में यूएचसीएस के केन्द्रीय विद्यालय परियोजना विद्यालय में परिवर्तन को स्वीकृत किया। केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नई दिल्ली ने भी 01 अप्रैल 2013 से एक नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने की संस्वीकृति (मार्च 2013) सूचित की। विश्वविद्यालय ने अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2013 के माध्यम से यूएचसीएस के मौजूदा शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ को तीन विकल्प प्रस्तुत किए (i) शिक्षण स्टाफ 31 मार्च 2016 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए केवीएस में प्रतिनियुक्ति पर जाए (अथवा) वे जो प्रतिनियुक्ति पर जाने के इच्छुक नहीं है उन्हें विश्विवद्यालय में कार्य सौंपा जा सकता है, (ii) शिक्षण स्टाफ,जिन्होंने योग्य सेवा के 20 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार करने के इच्छुक हैं, वह ऐसा कर सकते हैं (iii) गैर-शिक्षण स्टाफ की सेवाओं का इस प्रकार से उपयोग किया जाएगा जिसे विश्वविद्यालय के ऐसे विद्यालयों/विभागों/केन्द्रों/अनुभागों में उपयुक्त समझा जाएगा।

चूंकि किसी भी यूएचसीएस शिक्षक ने केवीएस में प्रतिनियुक्ति का विकल्प नहीं चुना था इसलिए विश्वविद्यालय ने केवीएस, नई दिल्ली को केवी परियोजना विद्यालय चलाने हेतु शिक्षकों की पर्याप्त संख्या प्रदान करने के लिए अपने स्वयं के प्रबन्ध करने का अनुरोध (अप्रैल 2013) किया। बाद में, विश्वविद्यालय ने केवी परियोजना विद्यालय खोलने हेतु केवीएस, नई दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया (मई 2013)।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों (जनवरी-अप्रैल 2016) की लेखापरीक्षा जांच ने प्रकट किया कि विश्वविद्यालय ने अपने विभिन्न विद्यालयों/विभागों/केन्द्रों में यूएचसीएस के 31 शिक्षण स्टाफ तथा सभी गैर-शिक्षण स्टाफ की पुनर्नियुक्ति की। इसके अतिरिक्त, 10 प्राथमिक तथा प्रशिक्षित स्नात्तक शिक्षकों को विश्वविद्यालय के पूर्व प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति की गई थी जिसने शिक्षण सेवाओं के कम उपयोग होने को प्रस्तुत किया।

केवी परियोजना विद्यालय हेतु अतिरिक्त निधियों के विश्वविद्यालय के अनुरोध (नवम्बर 2014, मई 2015, जुलाई 2015 तथा सितम्बर 2015) को यूजीसी (फरवरी 2015, दिसम्बर 2015 तथा मार्च 2016) द्वारा इस आधार पर स्वीकृत नहीं किया गया था कि विश्वविद्यालय में पहले ही परिसर विद्यालय था तथा इसने विश्वविद्यालय परिसर में एक केवी की स्थापना हेतु इसकी पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी। यूएचसीएस शिक्षकों को केवीएस विद्यालय में समावेश हेतु विश्वविद्यालय के अनुरोध (नवम्बर 2014) को भी केवीएस, नई दिल्ली द्वारा अस्वीकृत (दिसम्बर 2014) कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय द्वारा मामले में गठित एक समिति ने भी केवी को बंद करने तथा यूएचसीएस को दोबारा खोलने की सिफारिश (मार्च 2015) की है।

इस प्रकार, किसी भी शिक्षक ने मार्च/अप्रैल 2013 में, अर्थात् मई 2013 में केवीएस के साथ एमओयू किए जाने से पूर्व, केवीएस में प्रतिनियुक्ति हेतु विकल्प नहीं चुना था तथा विश्वविद्यालय एमएचआरडी/यूजीसी की स्वीकृति के बिना केवी परियोजना विद्यालय की स्थापना करने के अपने निर्णय के साथ आगे बढ़ा। इसका परिणाम केवी परियोजना के शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर ₹7.07 करोड़ का शिक्षण स्टाफ का कम उपयोग प्रस्तुत किया है।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2016) कि विश्वविद्यालय समुदाय की मांग को ध्यान में रखते हुए मौजूदा यूएचसीएस को केवी परियोजना विद्यालय में बदलने का निर्णय तथा गैर-शिक्षण स्टाफ को विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यालयों/विभागों/केन्द्रों/अनुभागों में पुन: तैनात किया गया था तथा प्राथमिक एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की सेवाओं का विश्वविद्यालय के पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में उपयोग किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विश्वविद्यालय मौजूदा यूएचसीएस को केवी विद्यालय में बदलने का निर्णय लेने से पूर्व यूएचसीएस स्टाफ के भविष्य के कैरियर हित को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त योजना तैयार करने में विफल था। शिक्षण स्टाफ की विश्वविद्यालय के अन्य विभागों तथा पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में पुन: तैनाती का परिणाम उनकी शिक्षण सेवाओं के गैर-उपयोग/कम उपयोग में

हुआ। समिति की रिपोर्ट (मार्च 2015), जो केवी विद्यालय को बंद करने तथा यूएचसीएस को दोबारा खोलने की सिफारिश करती है, ने स्पष्ट किया कि निर्णय उपयुक्त योजना के बिना लिया गया था। यूएचसीएस के केवी विद्यालय में ऐसे परिवर्तन पर यूजीसी द्वारा भी आपत्ति की गई थी।

मामला जुलाई 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।